तार : पर्यावरण
GRAM : PARYVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

फोन एवं फैक्स : 05278–245411
Tele & Fax: 05278-245411
Email- rofaizabad@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

पत्राक सं०: .....
Ref. No.- .....

दिनांकः .....
Dated : 11/12/20

माननीय हरित अधिकारण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपिल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य के सम्बन्ध में मा0 न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में दिनांक–18.07.2019 को आहूत मानीटरिंग कमेटी द्वारा दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में तिहुरा नाला सम्बन्धित जांच आख्या दिनांक– 11.12.2020।

1. ग्राम बैसिंह, परगना– हवेली अवध, तहसील– सदर, जिला– अयोध्या से प्रारम्भ होकर बहने वाला सरकारी नाला जो कि ग्राम– पाराखान तिहुरा उपरहार, रामपुर हलवारा, रामपुर माझा, सरायरासी, माझा राजेपुर, मूड़ाडीह, माझा पिपरी संग्राम, माझा पूस, चेतन माझा और मइना माझा होते हुये सरयू नदी में मिल जाता है। जो कई दशक पुराना है। तथा उपरोक्त नाले का प्रयोग सिंचाई, मछली पालन व घरेलू उत्प्रवाह के निकास हेतु पिछले कई दशकों से किया जाता रहा है। नाले का पानी सिंचाई व अन्य प्रयोग हेतु उपयुक्त है।
2. इस सरकारी नाले के जल प्रवाह को ग्राम राजेपुर की प्रधान शान्ती सिंह, सरस्वती देवी व अन्य ग्रामवासियों द्वारा रोक दिया गया है। जिसके दुष्परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में ग्रामीण किसान/पशु पक्षी व पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।
3. माननीय जिलाधिकारी अयोध्या के पत्र दिनांकित– 22.07.2018 के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी अयोध्या को

1/17/104, Ramnagar Colony, Parikrama Marg, Ayodhya-224001
1/17/104, रामनगर कालोनी, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या– 224001

प्रकरण की विस्तृत अभिलेखीय जांच व स्थलीय जांच कराकर तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था जिसके अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी–अयोध्या द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या, अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड अयोध्या तथा तहसीलदार सदर की संयुक्त टीम के माध्यम से समिति गठित करके विस्तृत जांच करायी गयी जिसमें प्रमुख रूप से यह इंगित किया गया है कि

"सन् 1363 से 1365 की फसली की खतौनी में सोती एवं रेता के खाते पर भूमि की नवैइयत परिवर्तन एवं खातेदारों का नाम अंकित किये जाने के सम्बन्ध में किसी सक्षम अधिकारी का कोई आदेश अंकित नहीं पाया गया, इससे स्पष्ट है कि सन् 1363 से 1365 फसली की खतौनी से प्रथम सर्वे बन्दोबस्त तैयार करते समय ही सोती एवं रेता की भूमि को त्रुटिपूर्ण ढंग से विभिन्न खातेदारों के नाम अंकित कर दिया। जिसके कारण वर्तमान में भी राजस्व अभिलेखों में सोती एवं रेता का कोई खाता अंकित नहीं हैं।"

साथ ही साथ उद्योग के उत्प्रवाहित होने वाले जल के सम्बन्ध में उक्त जांच में यह भी इंगित किया गया है कि **उद्योग द्वारा नाले में निस्तारित किये जा रहे शुद्धिकृत उत्प्रवाह की गुणवत्ता की जांच हेतु उद्योग द्वारा ई0टी0पी0 के फाइनल आउटलेट पर ऑनलाइन कान्टीनिवस इफ्लूएन्ट मानिटरिंग सिस्टम (आई0सी0ई0 एम0एस0) स्थापित किया गया है। उद्योग में स्थापित ओ0सी0ई0एम0एस0 केन्द्रीय प्रदूषण**

नियन्त्रण बोर्ड तथा राज्य बोर्ड के सर्वर से जुड़ा है जिसके द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग से नाले में निस्तारित किये जा रहे शुद्धिकृत उत्प्रवाह की गुणवत्ता की मानीटरिंग सतत् ऑनलाइन किया जा रहा है। उद्योग से निस्तारित हो रहे शुद्धिकृत उत्प्रवाह की गुणवत्ता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने की दशा में केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से तत्काल एस0एम0एस0 आ जाता है। तीन बार लगातार उद्योग द्वारा डिफाल्ट किये जाने की दशा में केन्द्रीय नियन्त्रण बोर्ड द्वारा उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है तथा कारण बताओ नोटिस का उद्योग द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिये जाने की दशा में उद्योग के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी कर दिया जाता है। समिति द्वारा उक्त तिथि को अन्तिम निस्तारण बिन्दु से उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु केन्द्रीय प्रयोगशाला में जमा कराया गया, जिसमें प्रचालकों की मात्रा पी0एच0– 7.88 बीओडी 12.0 सीओडी– 96 एवं एसएस–22.0 पाया गया जो बोर्ड के मानकों के अनुरूप है। उक्त जांच में यह भी इंगित किया गया है कि "ग्राम वासियों से जानकारी करने पर पाया गया कि उक्त नाला कई वर्ष पुराना है। मुख्य विकास अधिकारी अयोध्या द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट दिनांक– 21.02.2019 इस अख्या के अनुलग्नक 1 के रूप में प्रदर्शित है।"

4. क्षेत्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अयोध्या, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, जिला

स्तर पर गठित जांच कमेटी, शासन स्तर पर गठित जांच कमेटी एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त जांच कमेटी द्वारा यश पैका लि0 (यश पेपर्स लि0) के शुद्धीकृत उत्प्रवाह के नमूनों की जांच विभिन्न तिथियों पर की गई जिसके पश्चात पाया गया कि यश पैका लि0 के शुद्धीकृत उत्प्रवाह प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं।

5. इस सन्दर्भ में कार्यालय जिला कृषि अधिकारी अयोध्या के समक्ष मेसर्स यश पेपर्स लि0 (यश पैका लि0) के विरूद्ध की गई शिकायत के सन्दर्भ में फसलों की क्षति व जल भराव विषयक जांच की गई। जिस पर जिला कृषि अधिकारी अयोध्या द्वारा उपजलाधिकारी महोदय, सदर, अयोध्या को पत्र प्रेषित करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि विगत 5 वर्षों में यश पेपर्स लि0 दर्शननगर, अयोध्या के विरूद्ध एक मात्र शिकायत की गई है तथा प्रथम दृष्टया जल निकासी वाले नाले पर अतिक्रमण व जल निकासी के सुरक्षित बहाव को बाधित किये जाने के कारण नाले से पानी के तटबन्ध खेतों की तरफ बाहर आने की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा इसी वजह से खेतों में जल भराव हो रहा है। जो कि इस अख्या के अनुलग्नक 2 के रूप में प्रदर्शित है।

6. इसी प्रकार इसी क्रम में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय जनपद अयोध्या द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय, जनपद-अयोध्या को जांचोपरान्त यह आख्या उपलब्ध कराई गई कि यश पेपर मिल के नाले से मृत्यु के सम्बन्ध में किसी प्रकार

की कोई सूचना कार्यालय को नहीं प्राप्त हुई है। जो कि इस अख्या के अनुलग्नक 3 के रूप में प्रदर्शित है।

7. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी महोदय, जनपद अयोध्या द्वारा प्रेषित पत्र के क्रम में पशु चिकित्साधिकारी महोदय, पूरा बाजार, जनपद अयोध्या व पशु चिकित्साधिकारी महोदय, गंगौली, जनपद अयोध्या द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रेषित की गई है कि विगत 5 वर्षो में यश पैका लि0 के एफ्लुएंट ट्रीटमेन्ट प्लान द्वारा नाले में छोड़े गये पानी के कारण पशुओं में कोई बीमारी संज्ञान में नहीं आयी है। जो कि इस अख्या के अनुलग्नक 4 के रूप में प्रदर्शित है।

8. **इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ की डबल बेंच द्वारा रिट याचिका संख्या– 4704/2019 दिनेश यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में आदेश दिनांक– 06.03.2019 में यह दर्शित किया कि,**

"From the record as well as photographs annexed with the writ petition, it comes out that there is a nullah and the natural flow of the same cannot be obstructed by any person. The District magistrate and other district authorities are supposed to ensure the free flow of the water from the nullah which originates from village Baisingh and ends up in river Saryu. It appears that no positive steps have taken by the district authorities and in the instruction an effort has been made to shift the burden in the grab of proceedings pending before the consolidation authorities. Obstruction of the flow of water is apparently causing danger to

the environment." उक्त आदेश की प्रति इस अख्या के अनुलग्नक 5 के रूप में प्रदर्शित है।

9. अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या– 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन के वाद में भी यह तथ्य प्रकाश में लाया गया जिसका संज्ञान लेते हुए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांकित– 27.09.2019 के प्रस्तर संख्या– 21 में यह कहा गया कि नाले को किसी भी दशा में अवरूद्ध नहीं किया जा सकता है। उक्त आदेश की एक प्रति **अनुलग्नक 6** के रूप में प्रदर्शित है।

10. दिनांक–11.10.2019 को अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा उपजिलाधिकारी सदर अयोध्या को पत्र लिखते हुए इस तथ्य से अवगत कराया गया कि शासन के पत्र दिनांकित– 06.09.2019 से यह विदित है कि प्रश्नगत नाला अवैध रूप से कतिपय किसानों द्वारा अवरूद्ध किया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन के पत्र दिनांक– 11.10.2019 एवं शासन के पत्र दिनांक 06.09.2019 की प्रति **अनुलग्नक 7** के रूप में प्रदर्शित है।

11. माननीय उपजिला मजिस्ट्रेट सदर अयोध्या द्वारा अपने न्यायालय में विचाराधीन वाद अन्तर्गत धारा– 133 द0प्र0सं0 में दिनांक– 29.11.2019 को आदेश पारित करते हुए जल निकासी के नाले पर किये गये अवरोध को हटाने हेतु सशर्त आदेश दिया।

अतएव मैं उपजिला मजिस्ट्रेट, सदर, अयोध्या एतद्द्वारा आपको आदेश देता हूँ तथा आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप दिनांकित अवधि तक अनवार्य रूप से प्रश्नगत नाले पर किये गये किसी भी प्रकार के अवरोध को हटा लें, अन्यथा 2019 वर्ष, 11 माह, 29 दिवस को मेरे न्यायालय में पूर्वाह्न 11.00 बजे उपस्थित होकर यह संदर्भित करें कि इस आदेश को क्यों न प्रवर्तित किया जाय। उक्त आदेश की प्रति **अनुलग्नक 8** के रूप में संलग्न है। यह भी अवगत कराना है कि उपजिलाधिकारी सदर के न्यायालय में लम्बित उपरोक्त वाद में बहस की कार्यवाही पूर्ण हो गई है तथा पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित है।

12. केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की संयुक्त निरीक्षण आख्या को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी अयोध्या को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा– 5 के अन्तर्गत सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कार्यालय पत्रांक– एच 45759/सी–6/जल–53/फैजा0/2019 दिनांक– 01.01.2020 द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक– 24.09.2019 के अनुपालन में निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–

1. यह कि तिहुरा नाले में किसानों द्वारा बनाये गये समस्त बन्धों को तुरन्त हटा लिया जाये।

2. यह कि तुहुरा नाले के किनारे स्थित गांव के वेस्ट वाटर बिना शुद्धिकृत किये तिहुरा नाले में निस्तारित न किया जाये।

3. यह कि तिहुरा नाले में एकत्र स्लज को मैसर्स यश पैका लि0 (पूर्वनाम मेसर्स यश पेपर्स लि0), दर्शन नगर, अयोध्या के माध्यम से निकालने की व्यवस्था की जाये, जिससे तिहुरा नाले में बिना अवरोध के उद्योग का शुद्धीकृत उत्प्रवाह निस्तारित हो सके।

अवगत कराना है कि उपरोक्त निर्देशों में से यश पैका लि0 (यश पेपर लि0) को जारी निर्देश संख्या– 3 का अनुपालन यश पैका लि0 द्वारा किया गया तथा इस सम्बन्ध में सूचना क्षेत्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड अयोध्या के समक्ष दिनांक– 01.01.2020 को प्रेषित कर दिया। जिसके क्रम में दिनांक– 26.02.2020 को उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के मुख्यालय लखनऊ एवं क्षेत्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड अयोध्या द्वारा संयुक्त रूप से जांच कराई गई तथा उक्त जांच में यह पाया गया कि यश पैका लि0 द्वारा जारी दिशा निर्देश संख्या– 3 का अनुपालन कर लिया गया है। उक्त पत्राचार की प्रति आख्या के **अनुलग्नक 9** के रूप में संलग्न है।

13. इसी क्रम में प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिलाधिकारी अयोध्या के समक्ष पत्र दिनांकित– 12.06.2020 इस आशय से प्रेषित किया गया कि जिलाधिकारी अयोध्या

द्वारा उपरोक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अंनुपालन आख्या सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिनांक– 14.06.2020 तक उपलब्ध कराकर शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें परन्तु उक्त निर्देश संख्या– 1 व 2 का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है। उक्त पत्र की प्रति व सरकारी नाले की भूमि को अतिक्रमण करते हुए जबरदस्ती अवरूद्ध किये जाने का फोटोग्राफ **अनुलग्नक 10** व **अनुलग्नक 11** के रूप में संलग्न है।

14. अवगत कराना है कि इस सम्बन्ध में माननीय जिलाधिकारी अयोध्या को माननीय सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन न करने के कारण पुनः एक अनुस्मारक पत्र पत्रांक संख्या– एच49416/सी–6/जल–53/अयोध्या/ 2020 दिनांकित– 28.05.2020 द्वारा निर्देशत किया गया कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किया जाये, उक्त अनुस्मारक की प्रति **अनुलग्नक 12** के रूप में संलग्न है।

15. दिनांक– 02.06.2020 को ओवर साइड कमेटी एन0जी0टी0यू0पी0 पर्यावरण निदेशालय लखनऊ द्वारा भी जिलाधिकारी अयोध्या को पूर्व में दिनांक– 31.01.2020 व 13.02.2020 के निर्देशों के क्रम में पुनः आदेश जारी किया कि इस प्रकरण में उचित कार्यवाही करते हुए दो सप्ताह के भीतर कृत कार्यवाही से सूचित करें। **उक्त पत्र की प्रति अनुलग्नक 13 के रूप में संलग्न है।**

16. अवगत कराना है कि इस सम्बन्ध में माननीय जिलाधिकारी अयोध्या को माननीय सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश प्रदूषण

नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन न करने के कारण प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा अपने पत्रांक संख्या– NGT-254/81-7-2020-44(रिट)/16टी0सी0–2 दिनांकित– 12.06.2020 द्वारा निर्देशित किया गया कि सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्र संख्या– एच45759/सी–6/जल–53/फैजा0/2019 दिनांक– 01.01.2020 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या– एच49416/सी–6/जल–53/अयोध्या 2020 दिनांकित– 28.05.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को दिनांक– 14.06.2020 तक सुनिश्चित कराते हुए शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें। उक्त पत्र दिनांकित– 12.06.2020 की प्रति **अनुलग्नक 14** के रूप में संलग्न है।

17. इसी क्रम में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक– 16.06.2020 को **ओ0ए0 संख्या– 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपिल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य** में केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधिवक्ता की राय पर आदेश पारित करते हुए ओवर साइट कमेटी को तिहुरा नाला में किये गये अतिक्रमण के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही किये जाने का निर्देश जारी किया। **उक्त आदेश की प्रति अनुलग्नक 15 के रूप में संलग्न है।**

निष्कर्ष

उक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत जांच आख्या श्रीमान जी के अवलोकनार्थ इस निष्कर्ष के साथ प्रेषित की जा रही है कि ग्राम– बैसिंह, परगना– हवेली अवध, तहसील– सदर, जिला– अयोध्या से प्रारम्भ होकर बहने वाले सरकारी नाला जिसमें ग्राम वासियों के अशुद्धीकृत

उत्प्रवाह व यश पैका लिमिटेड का शुद्धिकृत उत्प्रवाह बहता है जिसे राजेपुर में कतिपय ग्रामवासियों द्वारा अवरूद्ध कर लिया गया है जिससे अत्यधिक प्रदूषण हो रहा है एवं फसलों के क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण सम्भावना बनी हुई है। साथ ही साथ यह अवगत कराना है कि यश पैका लि0 (यश पेपर्स लि0) के शुद्धीकृत उत्प्रवाह की जांच में लिये गये नमूने मानकों के अनुरूप पाये गये। उपरोक्त तिहुरा नाला को अवरूद्ध किये जाने के सम्बन्ध में न तो किसी सक्षम न्यायालय/विभाग द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश दिया गया है और न ही इस प्रकार से नाला अवरूद्ध किये जाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। अपितु नाले को खोले जाने के सम्बन्ध में जिला स्तर, शासन स्तर, राष्ट्रीय हरित अधिकारण प्रधान खण्ड पीठ नई दिल्ली व माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा समय समय पर समुचित दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जिनका अनुपालन आज तक नहीं किया गया है।

अतः तिहुरा नाला पर किये गये अवरोध को हटाने के सम्बन्ध में समुचित दिशा निर्देश जिला प्रशासन अयोध्या को जारी करने की कृपा करें।

भवदीय

दिनांकः- 11/12/20

क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
अयोध्या

अनुलग्नक-12

प्रेषक,

मुख्य विकास अधिकारी,
अयोध्या।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

पत्रांक 2975 एस0टी0/शिका0जांच–पत्रा0–2019/18–19 दिनांक जनवरी 21 फरवरी ,2019

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या : 1353/ओ0एस0डी0/मिस–यश पेपर मिल/2018 दिनांक 22.07.2018 का अवलोकन करनें का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री गौतम घोष, समन्वय प्रमुख, यश पेपर्स, यश नगर, अयोध्या के पत्र दिनांक 10.07.2018 की प्रति संलग्न कर ग्राम राजेपुर मांझा में स्थित नाले को अवरूद्ध कर दिये जाने के कारण यश पेपर मिल के गन्दे पानी से फसल के बरबाद होने तथा गांव के बच्चे, बुजुर्ग आदि लोगों के संक्रमित रोग से परेशान होने का उल्लेख करते हुये प्रकरण की विस्तृत अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच करा कर तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि आपके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 22.07.2018 में उल्लिखित 07 बिन्दुओं के कम में कार्यालय आदेश संख्या : 2040/एस0टी0/शिका0जांच–पत्रा0/2018–19 दिनांक 23.10.2018 द्वारा निम्नानुसार अधिकारियों की एक समिति गठित कर प्रकरण की जांच करायी गई :

1. बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, अयोध्या।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अयोध्या।
4. तहसीलदार, सदर, अयोध्या।

उक्त समिति के सदस्यों द्वारा प्रकरण की जांच कर जांच आख्या दिनांक 24.01.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गई है। जांच आख्या में यह स्पष्ट किया गया है कि यश पेपर मिल ग्राम पाराखान, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जिला अयोध्या में स्थित है। उक्त मिल के बगल से प्रश्नगत नाले का उद्गम ग्राम पाराखान से होकर ग्राम तिहुरा उप0, रामपुर हलवारा उप0, रामपुर हलवारा माझा, सरायरासी माझा, राजेपुर माझा होते हुये माझा मूड़ा डीहा, अयोध्या से होकर सरयू नदी तक जाता है। इस नाले में शामिल होने वाले गाटा संख्याओं एवं उनसे संबंधित खातेदारों का विवरण समिति द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के पृष्ठ संख्या–01 व 02 पर उल्लिखित है।

ग्राम राजेपुर मांझा परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जिला अयोध्या चकबन्दी प्रकिया में है। चकबन्दी विभाग द्वारा निर्गत ग्राम राजेपुर मांझा के जोत चकबन्दी आकार पत्र 2–क के अनुसार गाटा संख्या–450 रकबा 4.060 हे0 भूमि खातेदार के नाम दर्ज है, किन्तु जोत चकबन्दी आकार पत्र 2–क के कालम संख्या–24 में अंकित किया गया है कि "मौके पर नाला है।"

वर्तमान में ग्राम राजेपुर मांझा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जिला अयोध्या की गाटा संख्या–450मि., 451मि., 131/2मि. से होकर नाला प्रवाहित हो रहा है। उक्त गाटा संख्या 450मि. व 451मि. वर्तमान में विभिन्न खातेदारों के नाम भिन्न खातों में, संघटक खाते के रूप में बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है।

ग्राम राजेपुर मांझा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जिला अंयोध्या की द्वितीय सर्वे बन्दोबस्त के अनुसार वर्तमान गाटा संख्या–450 पुरानी गाटा संख्या 156, 239, 241, 242, 243, 246, 386, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408 से बनी है, जो प्रथम बन्दोबस्त की नयी गाटा संख्या है। प्रथम बन्दोबस्त की उक्त गाटा संख्या–156 सन् 1359 फसली की गाटा संख्या–92/1 से, गाटा संख्या–239, गाटा संख्या–97मि. से, गाटा संख्या–241, 242, 243, गाटा संख्या–98 से, गाटा संख्या–246, गाटा संख्या–102 व 101 से, गाटा संख्या–386, 401, 402, 403, 404, 405 से गाटा संख्या–102 से व गाटा संख्या–406, गाटा संख्या–129, 139 से तथा गाटा संख्या–408, गाटा संख्या–144, 145 व 146 से बनी है। सन् 1359 फसली में अंकित गाटा संख्या–92/1मि. का आंशिक भाग, गाटा संख्या–97मि. व गाटा संख्या–102 सोती के खाते में तथा गाटा संख्या–98 रेता के खाते में अभिलिखित रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि सन् 1359 फसली की गाटा संख्या–92/1मि. 97 मि. 98 व 102 का जो अंश वर्तमान गाटा संख्या–450 में समाहित है, वह सोती एवं रेता खाते की जलमग्न भूमि रही है। (संलग्नक–02)

इसी प्रकार वर्तमान गाटा संख्या– 451क व 451ख पुरानी गाटा संख्या– 386 से बनी है। पुरानी गाटा संख्या–386 सन् 1359 फसली की गाटा संख्या–102 से बनी है। सन् 1359 फसली में गाटा संख्या–102 सोती के खाते में दर्ज रही है। इससे यह स्पष्ट है कि सन् 1359 फसली की गाटा संख्या–102 से निर्मित वर्तमान गाटा संख्या–451 भी सोती खाते की जलमग्न भूमि रही है (संलग्न–2)।

सन् 1363 से 1365 फसली की खतौनी में सोती एवं रेता के खाते में भूमियां अंकित रहीं है, किन्तु उसके उपरान्त प्रथम सर्वे बन्दोबस्त सन् 1365 से 1366 फसली में सोती एवं रेता के खाते में कोई भूमि अंकित होना नहीं पाया जाता। बल्कि विभिन्न खातेदारों के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में प्रविष्टियां दर्ज है। सन् 1363 से 1365 फसली की खतौनी में सोती एवं रेता के खाते पर भूमि की नवैय्यत परिवर्तन एवं खातेदारों के नाम अंकित किये जाने के संबंध में किसी सक्षम अधिकारी का कोई आदेश अंकित नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट है कि सन् 1363 से 1365 फसली की खतौनी से प्रथम सर्वे बन्दोबस्त तैयार करते समय ही सोती एवं रेता की भूमि को त्रुटिपूर्ण ढंग से विभिन्न खातेदारों के नाम अंकित कर दिया गया जिसके कारण वर्तमान में भी राजस्व अभिलेखों में सोती एवं रेता का कोई खाता अंकित नहीं है।

2– उक्त नाले में यश पेपर मिल से निकलने वाला पानी नाले से होकर बहता है, किन्तु बरसात के दिनों में आस–पास ग्रामों/क्षेत्रों का बरसाती पानी भी नाले से ही होकर सरयू नदी में प्रवाहित होता है।

3– उद्योग एवं पल्प एवं पेपर उद्योग तथा कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या के अभिलेख के अनुसार वर्ष 1983 से संचालित है। उद्योग की वर्तमान क्षमता 120 मीट्रिक टन प्रतिदिन पल्प/पेपर उत्पादन क्षमता की है। उद्योग में कृषि अपशिष्ट जैसे–गेहूँ का भूसा, गन्ने की खोई एवं पुराने गनी बोरों इत्यादि का प्रयोग कर मशीन ग्लेज्ड अनबिच्ड मीडिया क्राप्ट पेपर ब्लीच्ड पोस्टर ग्रेड पेपर तथा पल्प का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त ई0टी0 पी0 से जनित स्लज से ऐग ट्रे तथा पल्प से थाली, तस्तरी एवं प्याली इत्यादि का भी उत्पादन किया जाता है। उद्योग में भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया जाता है। जमींन से पानी 06 निजी नलकूपों के माध्यम से निकाला जाता है। नलकूपों पर भूमि से निकाले गये जल की मात्रा के मापन हेतु

06 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाटर मीटर स्थापित है तथा उद्योग द्वारा भूमि से निकाले गये पानी का लॉगबुक बनाया गया है जिससे भूमि से प्रतिदिन नलकूपों से निकाली गई मात्रा अंकित किया जा रहा है। उद्योग से घरेलू प्रयोजन में प्रयुक्त जल से जनित घरेलू बहिस्राव के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था स्थापित है। उद्योग में औद्योगिक प्रयोजन में जल का प्रयोग मुख्यतया ब्यावलर फीडिंग, पल्पिंग, वाशिंग, पेपर मेकिंग, कूलिंग इत्यादि हेतु किया जाता है। औद्योगिक प्रयोजन में प्रयुक्त जल से 02 प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह जनित होता है। उद्योग में जनित एक प्रकार का उत्प्रवाह जो मुख्तया पेपर मेकिंग, कूलिंग इत्यादि जनित होता है, अल्प प्रदूषणकारी प्रकृति का होता है, जिससे शुद्धिकरण हेतु उद्योग में एक्टीवेटेड स्लस प्रासेस (एस0एस0पी0) पर आधारित 12000 कि.ली. प्रतिदिन शोधन क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0) स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाइयां निम्नवत हैं :

01 बार स्कीन, 02 फाइबर रिकवरी सिस्टम, 03 कोफ्टा सेडियल, 04 इक्वालाइजेशन टैंक, 05 स्पिलिटर बाक्स, 06 एनरोबिक लैगून, 07 प्राइमरी क्लारीफायर (सं0–02), 08 एरेशन टैंक (सं02), 09 सेकेण्डरी क्लारीफायर (सं0–02), 10 मैन्चुरेशन पॉण्ड, 11 एक्टीवेटेड कार्बन फिल्टर (सं0–02), 13 मैकेनिकल स्लज डिवाटरिंग डिवाइस एग्रो पल्पिंग एवं पल्प वाशिंग इत्यादि प्रकियाओं से जनित उत्प्रवाह अत्यन्त प्रदूषणकारी प्रकृति का होता है, जिसे ब्लैक लीकर कहा जाता है। ब्लैक लीकर के शुद्विकरण हेतु उद्योग में केमिकल प्लान्ट (सी0आर0पी0) स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाइयां निम्नवत है :

01–मल्टी इफेक्ट इवोपोरेटर, 02–कैस्केड इवोपरेटर, 03–स्लप फायर्ड इन्सीनरेशन ब्वायलर, 04–रिकिस्ट साइटिंग प्लान्ट

सी0आर0पी में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 02 चिमनियां स्थापित है। इन्सीनरेशन ब्वायलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसीरेटर (ई0एस0पी0) स्थापित है। इन्सीनरेशन ब्वायलर की चिमनी पर बेब कैमरा स्थापित है जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोड के सर्वर से जुड़ा है जिसके द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सी0आर0पी0 के संचालन की मानिटरिंग ऑनलाइन किया जा रहा है। उद्योग से जनित ब्लैक लीकर की मात्रा के मापन हेतु उद्योग मास फ्लो मीटर स्थापित है।

उद्योग से जनित अल्प प्रदूषणकारी प्रकृति के उत्प्रवाह की मात्रा के मापन हेतु उद्योग में ई0टी0पी0 के इनलेट पर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वाटर मीटर स्थापित है तथा इसकी लागबुक उद्योग मेनटेन किया जा रहा है। उद्योग में ई0टी0पी0 के आउठलेट पर उद्योग से नाले में निस्तारित किये जाने वाले उत्प्रवाह की मात्रा के मापन हेतु अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर तथा कैलिब्रेटेड "वी" नॉव स्थापित है। उद्योग द्वारा नाले में निस्तारित किये जा रहे शुद्धिकृत उत्प्रवाह की गुणता की जांच हेतु उद्योग द्वारा ई0टी0पी0 के फाइनल आउठलेट पर ऑनलाइन कान्टीनिवस इफ्लूएन्ट मानिटरिंग सिस्टम (आई0सी0ई0एम0एस0) स्थापित किया गया हैं। उद्योग में स्थापित ओ0सी0ई0एम0एस0 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य बोर्ड के सर्वर से जुड़ा है जिसके द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग से नाले में निस्तारित किये जा रहे शुद्विकृत उत्प्रवाह की गुणता की मानीटरिंग सतत् ऑनलाइन किया जा रहा है। उद्योग से निस्तारित हो रहे शुद्धिकृत उत्प्रवाह की गुणता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने की दशा में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से तत्काल एस0एम0एस0 आ जाता है। तीन बार लगातार उद्योग द्वारा डिफाल्ट किये जाने की दशा में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया

जाता है तथा कारण–बताओ नोटिस का उद्योग द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिये जाने की दशा में उद्योग के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी कर दिया जाता है। समिति द्वारा उक्त तिथि को अन्तिम निस्तारण विन्दु से उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु केन्द्रीय प्रयोगशाला में जमा कराया गया, जिसमें प्रचालकों की मात्रा पीएच–7.88, बीओडी 120, सीओडी–96 एवं एसएस–22.0 पाया गया जो बोर्ड के मानकों के अनुरूप है। 12.0

उद्योग से निस्तारित किया जाने वाला शुद्धिकृत उत्प्रवाह उद्योग परिसर के अन्दर से बहने वाले तिहुरा नाले में मिलता है तथा तिहुरा नाला अन्ततः सरयू नदी में मिलता है। उद्योग से सरयू नदी की दूरी लगभग 10–12 किमी है। तिहुरा नाले के किनारे बसे गांवो से जनित घरेलू बहिस्राव भी तिहुरा नाले में मिलता है।

ओ0सी0ई0एम0एस0 स्थापित हो जाने के पश्चात् से उद्योग नाले में निस्तारित किये जा रहे शुद्धिकृत उत्प्रवाह की गुणता का ऑनलाइन मानिटरिंग केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरन्तर किया जा रहा है, जिसकी माह जनवरी, 2019 की जांच रिपोर्ट जांच आख्या के साथ संलग्न की जा रही है। ओ0सी0ई0एम0एस0 स्थापित होने के पहले से निस्तारित किये जाने वाले शुद्धिकृत उत्प्रवाह की गुणता की जॉच राज्य बोर्ड तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर किया जाता था। क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या के अभिलेखों का परिशीलन करने के उपरान्त उद्योग द्वारा तिहुरा नाले में बिना शुद्धिकृत उत्प्रवाह निस्तारित किये जाने की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

4. ग्रामवासियों से जानकारी करने पर पाया गया कि उक्त नाला कई वर्ष पुराना मिल निर्माण होने के पूर्व से है।
5. यश पेपर मिल द्वारा नाले में जहॉ पानी छोड़ा जाता है वहॉ पर स्थित अल्ट्रासोनिक मीटर के आधार पर डिस्चार्ज 123 क्यूबिक मीटर प्रति घण्टा है। 5 मीटर चौड़ाई के नाले में पानी बहाव के लिए पर्याप्त होगा। (सिचाई खण्ड की आख्यानुसार)
6. जहॉ पर यश पेपर मिल का पानी नाले में गिरता है वहां नाले का स्वरूप/यानी उसकी गहरायी आदि जल बहाव के लिए पर्याप्त है लेकिन आगे की तरफ रामुपर हलवारा एवं सरायरासी गांव के पास नाले का स्वरूप यानि उसकी सतह छिछली है और छिछली होने के कारण पानी का बहाव/फैलाव क्षेत्र अधिक है।
7. यश पेपर मिल का पानी जिस नाले में गिरता है उस नाले का सर्वेक्षण कार्य कराया गया। उक्त नाले की लम्बाई 7.00 कि.मी. पायी गयी। वर्तमान में नाला मिट्टी/स्लस से भरा हुआ है, जिसके कारण पानी का बहाव अवरूद्ध है। उक्त नाले की सफाई कार्य की अनुमानित लागत 60.00 लाख है। यदि नाले को पक्का बनवाया जाता है तो उसकी अनुमानित लागत 2.80 करोड़ आयेगी (सिचाई खण्ड की आख्यानुसार)।

अतः श्री गौतम घोष, समन्वय प्रमुख, यश पेपर्स, यश नगर, फैजाबाद के पत्र दिनांक 10.07.2018 मूल रूप में तथा कार्यालय पत्र संख्या : 2040/दिनांक 23.10.2018 द्वारा गठित समिति की संयुक्त जांच आख्या दिनांक 24.01.2019 मूल रूप में संलग्नक सहित आपके पास अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोक्त मूल रूप में।

भवदीय,

(अभिषेक आनन्द)
मुख्य विकास अधिकारी
अयोध्या।

अनुलग्नक-16

कार्यालय--जिला कृषि अधिकारी,अयोध्या।

पत्रांक-- 59 /जनसूचना/2019-20/दिनांक-मई 07 ,2019

श्री सचिन कुमार श्रीवास्तव
कम्पनी सचिव
मे0 यश पेपर्स लिमिटेड,
दर्शननगर,अयोध्या

कृपया अपने पत्र दिनांक--20.04.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करे,जिसके द्वारा आपने जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत तीन बिन्दुओ पर सूचना चाही गयी है का विवरण निम्नवत है:-

बिन्दु संख्या--1--कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विगत पॉच वर्ष में मे0 यस पेपर्स लिमिटेड दर्शननगर,अयोध्या के विरूद्ध एक शिकायत श्री परशुराम यादव निवासी ग्राम रामपुर हलवारा पोस्ट सरायरासी जनपद--अयोध्या द्वारा की गयी है। (शिकायती पत्र की छाया प्रति सलंग्न)

बिन्दु संख्या--2--शिकायत निस्तारण के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी,सदर अयोध्या को कार्यालय पत्रांक--1093 दिनांक--05.03.2019 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया।(छाया प्रति सलंग्न)

बिन्दु संख्या--3-- मे0 यस पेपर्स लिमिटेड दर्शननगर,अयोध्या द्वारा किये जा रहे भू--जल प्रदूषण से स्थानीय कृषको की फसलो को हुई क्षति एवं दिये गये क्षति पूर्ति के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,बस्ती उ0प्र0 द्वारा चाही गयी सूचना कार्यालय पत्रांक--53 दिनांक--02.05.2019 द्वारा प्रेषित की गयी है। (छाया प्रति सलंग्न

सलंग्नक--उपरोक्तानुसार।

जिला कृषि अधिकारी,
अयोध्या।

प्रेषक,

जिला कृषि अधिकारी
अयोध्या।

सेवा में,

उप जिलाधिकारी ,
सदर, अयोध्या।

पत्रांक– 1093 /तहसील दिवस/2018–19/दिनांक 05 मार्च , 2019

महोदय,

कृपया तहसील दिवस सन्दर्भ संख्या–47411 दिनांक 05.02.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो श्री परशुराम यादव निवासी रामपुर हलवारा पोस्ट सरायरासी तहसील सदर द्वारा स्थलीय नाले के पानी से जलभराव द्वारा फसल की क्षति विषयक है। इस क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा ग्राम रामपुर हलवारा, सरायरासी , तिहुरा एवं राजेपुर में स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया जल निकासी वाले नाले पर अतिक्रमण एवं जल निकासी के सुरक्षित बहाव को बाधित किये जाने के कारण नाले से पानी के तटबन्ध से खेतो की तरफ बाहर आने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है एवं खेतो में जल भराव हो रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर फसलो की क्षति सम्भावित है।

उपरोक्त क्रम में सादर अनुरोध है कि राजस्व विभाग से मौके पर स्थलीय निरीक्षण / निस्तारकन कराते हुए बाधित नाले से जल निकास की सुरक्षित व्यवस्था कराने का कष्ट करें, जिससे संबंधित ग्राम के कृषको की फसलो को क्षति से बचाया जा सकें।

भवदीय

(बी0 के0 सिंह),
जिला कृषि अधिकारी
अयोध्या।

पृष्ठाकन संख्या/ 1093 /यथोक्ति/दिनांक तद्

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01–संबंधित शिकायतकर्ता ।

02–जिलाधिकारी महोदय अयोध्या की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

जिला कृषि अधिकारी,
अयोध्या।

श्रीमान तहसील दिवस प्रभारी

तहसील सदर अयोध्या.

विषय: यश पेपर मिल दर्शन नगर के उत्सर्जित जल से नष्ट हुई फसल की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध मे

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की लगभग 5 एकड फसल जिसमे गन्ना धान की फसल बोई गयी है। यश पेपर मिल के पानी से जल भराव के कारण नष्ट हो गयी है, और गेहू के फसल की बुआई भी नही हो पायी है, जिससे परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की हानि का आंकलन कराकर उचित क्षतिपूर्ति दिलायी जाय, महान कृपा होगी।

परशुराम यादव

दिनांक 5-9-19

प्रार्थी
(JC117506 Ex.Sub) परशुराम यादव
पुत्र श्री महेश यादव
ग्राम-- रामपुर हलवारा, पोस्ट सरायरासी
थाना कोतवाली अयोध्या, तहसील-- सदर
जिला-- अयोध्या

जिला कृषि अधिकारी,
अयोध्या।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ब्लाक रोड, बुद्धापुरम, बडेबन
बस्ती–उत्तर प्रदेश–272002

पत्रांक– 53 /विविध जॉच/2019–20/दिनांक 02 मई 2019

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0सं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर में पारित आदेश दिनांक 25.10.2018 के संबंध में पर्यावरण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन द्वारा गठित जॉच समिति को जॉच से संबंधित अभिलेख/सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने विषयक ।**

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक सन्दर्भ संख्या 285/सा0–28/एन0जी0टी0/IV /2019 दिनांक 29–04–2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0सं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर में पारित आदेश दिनांक 25.10.2018 के संबंध में पर्यावरण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन द्वारा गठित जॉच समिति को जॉच से संबंधित अभिलेख सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने विषयक है, के क्रम में प्रमुख सचिव पर्यावरण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप सख्या–415/55–पर्या–2–18–44 (रिट)/2018 दिनांक 17.12.2018 के माध्यम् से मेसर्स यश पेपर्स लि0दर्शननगर अयोध्या द्वारा किये जा रहे भू–जल प्रदूषण द्वारा क्षेत्रीय कृषको की फसलो को हुयी क्षति एवं संबंधित कृषक को क्षति पूर्ति दिये जाने की सूचना से संबंधित है।

उपरोक्त के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

01–कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार बिगत तीन वर्षो में पेपर मिल के पानी से तिहुरा नाले के आप पास के खेतो में उगी फसलो के क्षतिग्रस्त/बर्बाद होने संबंधी एक शिकायत दिनांक 05.02.2019 को तहसील दिवस सदर के माध्यम् से श्री परशुराम यादव निवासी रामपुर हलवारा तहसील सदर द्वारा की गयी है, जिसमें गन्ना एवं धान की फसल क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षति पूर्ति किये जाने को संदर्भित किया गया हैं। अन्य किसी भी कृषक द्वारा इस संबंध में कोई शिकायत अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर नही की गयी है।

02–श्री परशुराम यादव निवासी रामपुर हलवारा तहसील सदर द्वारा दिनांक 05.02.2019 को की गयी शिकायत के क्रम में मौके पर जाकर स्थलीय जॉच की गयी। जॉच के समय मौके पर प्रथम दृष्टया जल निकासी वाले नाले पर अतिक्रमण एवं जल निकासी के सुरक्षित बहाव को बाधित किये जाने के कारण नाले के तटबन्ध से पानी बाहर खेतो की तरफ आने की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। सादर यह भी अवगत कराना है कि शिकायत की तिथि को धान फसल मौके पर खेत में उपलब्ध नही थी, जिससे फसल की क्षति का समुचित ऑकलन किया जाना सम्भव नही था।

गन्ने की फसल में आंशिक जल भराव से क्षति की स्थिति नही पैदा होती है। तिहुरा नाले पर अतिक्रमण के कारण जल निकासी के सुरक्षित बहाव की व्यवस्था हेतु उप जिलाधिकारी सदर को कार्यालय पत्रांक 1093/तह0 दिवस/2018--19/दिनांक 05.03.2019 को राजस्व विभाग से नौके पर स्थलीय निरीक्षण/चिन्हांकन कराते हुए बाधित नाले से जल निकास की सुरक्षित व्यवस्था कराने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया, जिससे स्थानीय कृषको की फसल को जल भराव की स्थिति से किसी भी क्षति से बचाया जा सकें।

03--विगत तीन वर्षो में किसानो से प्राप्त शिकायत की जॉच के क्रम में फसलो की क्षतिपूर्ति किये जाने का प्रकरण प्रकाश में नही है।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित ।

भवदीय

2/5/19

जिला कृषि अधिकारी,
अयोध्या।

पृष्ठांकन संख्या-- 53 /यथोक्ति दिनांक तद्

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

01--जिलाधिकारी, महोदय अयोध्या।

02--उप कृषि निदेशक अयोध्या।

03--मुख्य प्रर्यावरण अधिकारी (वृत्त--6) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।

2/5/19

जिला कृषि अधिकारी,
अयोध्या।

अनुलग्नक-3[21]

कार्यालय–मुख्य चिकित्सा अधिकारी फैजाबाद।

प्रमाण पत्र

मे0 यश पेपर लिमिटेड के पत्रांक–14/सी0एम0ओ0 दिनांक–7.05.2018 के क्रम में डा0 ए0के0 सिंह अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की गयी एवं वहां के लोगो से बातचीत की गयी। यश पेपर मिल के नाले के पानी से ~~पीलिया के~~ मृत्यु के संबन्ध में इस कार्यालय को कोई सूचना नही है।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फैजाबाद।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फैजाबाद

अनुलग्नक-5

प्रेषक,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
अयोध्या।

सेवा में,

श्री सचिन कुमार श्रीवास्तव,
कम्पनी सचिव,
यश पेपर्स लि0, दर्शननगर
अयोध्या।

पत्रांक 347 / जनसूचना / 2019-20 दिनांक:- 03.07.19

विषयः- यश पेपर्स लि0, दर्शननगर, अयोध्या के एफ्लुएंट ट्रीटमेन्ट प्लांट द्वारा सरकारी नाले में जाने वाले पानी से पशुओं के बीमार / मरने की शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 26.06.2019 के क्रम में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच पशुचिकित्साधिकारी, पूराबाजार तथा पशुचिकित्साधिकारी, गंगौली, जनपद अयोध्या से कराई गई। पशुचिकित्साधिकारी द्वय द्वारा प्राप्त जांच आख्या से प्रतीत होता है कि विगत पांच वर्षो में एफ्लुएंट ट्रीटमेन्ट प्लांट द्वारा नाले में छोड़े गये पानी के कारण पशुओं में कोई बीमारी संज्ञान में नहीं आई है। भविष्य में यदि एफ्लुएंट ट्रीटमेन्ट प्लांट द्वारा नाले में छोड़े गये पानी के कारण पशुओं में कोई बीमारी फैलती है, तो तत्समय आपको सूचित किया जायेगा।

भवदीय

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
अयोध्या।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
फैजाबाद

पत्रांक क्र० - 05/न्याय/प्रदूषण/2017-18 दिनांक 22-03-18

महोदय,

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी फैजाबाद के पत्र सं० 06/न्याय/प्रदूषण/2017-18 दिनांक 09-03-18 के अनुपालन के क्रम में राजीव नगर फैजाबाद में स्थित मै० शास्त्र पेपर्स लिमिटेड से हो रहे प्रदूषण से जानवरों/पशुओं की बीमारी/मरने की पुष्टि की सूचना चाही गयी थी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मेरे द्वारा क्षेत्र भ्रमण एवं पशु चिकित्सालय पर चिकित्सा के दौरान प्रदूषण से पशुओं की बीमारी/मरने की कोई सूचना नहीं मिली है। अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

RECEIVED
ONE COPY
S.Singh
22/03/18

(डा० उपेन्द्र कुमार)
पशु चिकित्साधिकारी
अमौली फैजाबाद

ह/c

अनुलग्नक-5

Court No. - 5

Case :- MISC. BENCH No. - 4704 of 2019

Petitioner :- Dinesh Yadav & Ors.
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy. Irrigation Deptt. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Subhash Vidyarthi
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Dr. Devendra Kumar Arora,J.
Hon'ble Narendra Kumar Johari,J.

Submission of the learned counsel for the petitioner is that there is Government Nullah called *(soti)* which originates from village Baisingh and flows through different villages of pargana Haweli Awadh, tehsil Sadar, District Ayodhya, i.e., Parakhan, Tiruha Uparhaar, Rampur Halwara, Rampur Majha, Sarairasi Majha, Rajepur Majha, Moodadiha Majha, Pipri Sangram Majha, Pure Chetan Majha and Mardhana Majha and finally ends up in river Saryu. This nullah carries rain water of the said villages. Petitioners as well as other farmers also use the water of the said 'soti' for irrigation and other purposes since ages. It is further submitted that in the basic year khatauni, i.e., khatauni for the year 1359 fasli, gata no 18, 102 etc in village Rajepur measuring 76 bigha and 16 biswan (approximately 19 hectares) are recorded as 'soti'. However, during later years new gata nos.386 ka, kha, 401, 402, 403 and 405 were carved out from old gata no.102 and new gata numbers were recorded in the name of private individuals. Similarly, new gata number 77 measuring 3-15-0 and gata no.78 measuring 13-14-5 were carved out of the old gata no.18 and the same were also recorded in the names of private individuals by manipulating the records but the 'soti' (nullah) contiued to flow over the said plots of land and the water therefrom is being used by the petitioners and other villagers for the irrigation and other

purposes. The Government has also constructed a sluice gate in village Rajepur on the aforesaid 'soti' (nullah) in order to control the backflow of the water when the water in river Saryu rises during heavy rains and it reaches up to village Rajepur and in support of the said averments some photographs of the sluice gate have also been annexed as Annexure-5. Petitioners raise their grievance regarding obstruction of flow of water in the 'soti' at particular place in Rajepur Majha, village Rajepur

which caused water of the nullah to overflow and spread in nearby fields and no action has been taken, so, the petitioners are constrained to approach this Court seeking directions against the opposite parties to remove illegal obstruction in 'soti' to ensure smooth flow of the water in government nullah(soti) which originates from the village Baisingh, pargana Haweli Awadh, tehsil Sadar, District Ayodhya.

Learned Standing Counsel, on the basis of instructions submitted that there is some dispute pending before the consolidation authorities but failed to point out as to whether there is any injunction or stay order granted in the said proceedings.

From the record as well as photographs annexed with the writ petition, it comes out that there is a nullah and the natural flow of the same cannot be obstructed by any person. The District magistrate and other district authorities are supposed to ensure the free flow of the water from the nullah which originates from village Baisingh and ends up in river Saryu. It appears that no positive steps have been taken by the district authorities and in the instructions an effort has been made to shift the burden in the garb of proceedings pending before the consolidation authorities. Obstruction of the flow of water is apparently causing danger to the environment.

We take a serious view of the issue and direct the District Magistrate, Ayodhya to appear before this Court alongwith record for assistance and also to explain as to why steps have not been taken for ensuring the free flow of the water in the said soti (nullah).

List this case on 26.3.2019, as fresh.

Learned Standing Counsel is directed to communicate this order to the concerned authority.

Order Date :- 6.3.2019

haakir/mks

अनुलग्नक-

Item No. 01 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 116/2014

Meera Shukla Applicant(s)

Versus

Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 24.09.2019
Date of uploading the order: 27.09.2019

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE S.P WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAKRISHNAN, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

ORDER

1. The issue for consideration is the remedial action for contamination of water bodies and ground water, specially Ramgarh Lake, Ami River, Rapti River and Rohani River in and around District Gorakhpur, Uttar Pradesh.

2. The matter was considered vide the order dated 23.08.2018. The Tribunal noted the allegation that Ramgarh Lake, Ami River, Rapti River and Rohani River in and around District Gorakhpur were severely polluted on account of discharge of untreated sewage and industrial effluents. Steps required to prevent contamination of water bodies and groundwater were not being taken. This was affecting the farmers and inhabitants, flora, fauna and ecology of area and causing degradation of the environment. 103 water bodies are under

threat. There was no proper management of solid waste and no designated scientific sanitary landfill. There was encroachment of the Ramgarh Taal. CETP had not been set up. Industries were not complying with the environmental norms. There was high organic load in River Ami and Rapti and Sugar industries and Distillery units were causing pollution. 557 persons died in the year 2012. About 50,000 persons died in the last 30 years. It was also noted that Ami, Rapti and Rohani River are the tributaries of Ghaghara which ultimately terminated into River Ganga. For public health at Gorakhpur, clean water supply was necessary, apart from cleaning of water bodies and other steps for protection of environment.

3. The Tribunal issued directions for the purpose and a Monitoring Committee was constituted headed by former Judge of Allahabad High Court with representatives of the CPCB, UPPCB and State Jal Nigam to oversee compliance of directions of this Tribunal already issued on the subject of closing the sources of contaminated water (like handpumps) and taking steps for supply of potable water, to ensure proper waste management and deal with other issues mentioned above.

4. The Committee was to carry out inspection of the industries causing pollution of water bodies, drains and rivers in the area and ETPs, STPs, CETP and SWM sites. Action plan was required to be prepared for solid waste processing plant, proper functioning of ETPs and CETP and also for making available potable water to the inhabitants apart from undertaking rehabilitation program for compensating the victims who had suffered. The Committee was to furnish reports to this Tribunal for further action.

5. The matter has been dealt with on several dates since then in the light of reports received from the Committee. The Tribunal has passed directions with regard to installation of STPs and CETP by GIDA, closure of industries operating illegally, adding to the pollution of the Rivers or their tributaries, shifting of construction activities from the floodplain zones/catchment area, unscientific disposal of municipal and other wastes. Reports have been dealt with from time to time earlier vide orders dated 25.10.2018, 17.12.2018, 07.03.2019, 29.04.2019 and 19.07.2019 to which a brief reference may be made.

6. Order dated 25.10.2018 dealt with the pollution caused by M/s. Yash Paper Mills, Faizabad by discharge in Tihura Drain affecting the agricultural lands as result of demolishing the clay barrier as per directions from the Sub Divisional Magistrate. Allegation of alleged collusion of SDM of the area was directed to be looked into by the Chief Secretary, UP. The stand of the SDM is that the barrier was removed to ensure flow of the drain, though the rain has to be kept clean and free from discharge of effluents.

7. Order dated 17.12.2018 dealt with the damage to the forest land by Bajaj Sugar Mill, Golagokaran Nath, District Lakhimpur, pollution by M/s Gallant Ispat Limited, Gorakhpur by discharging effluent into a drain joining Ami River, pollution by M/s Rungta Industries Pvt. Ltd. and M/s Crazy Snacks Ltd. discharging effluent in GIDA drain, pollution by M/s Yash Paper Mills, and pollution of Ami River by sewage generated in Gorakhpur, Sahjanwa, Unwal, Kauriram and Khajni, pollution by M/s Bajaj Hindustan Limited (Distillery Unit), illegal construction around Ramgarh lake and absence of sanitation,

violation of environmental norms by Baba Raghav Das Medical College, Gorakhpur. The Tribunal directed the State PCB to take necessary action for enforcement of law by closing the polluting activity and recover compensation on "polluter pays principle" and report to this Tribunal. With regard to encroachment action was required to be taken by Principal Secretary, Urban Development and report was to be given to this Tribunal. With regard to violation of medical norms, report was to be given by Health Department. Jal Nigam was to take action for STPs and GIDA for CETPs. Other actions were to be taken by Environments and Irrigation departments, Nagar Nigam and District Magistrate Siddharth Nagar and compliance reports furnished. Against this said order, appeal of the State of UP has been dismissed on 01.07.2019 by the Hon'ble Supreme Court, being *Civil Appeal No. 5414/2019*. Compliance reports have not been received from all the concerned authorities except from UPPCB to which reference will be made later.

8. Order dated 07.03.2019 dealt with reports dated 08.02.2019 from the Committee with regard to the pollution caused by M/s Bharati Research and Breeding Farm, FL-27, Sector-13, GIDA, Gorakhpur, UP, M/s Mother Shree Dairy, D-1/3D, Sector-13, GIDA, Gorakhpur, UP, M/s Alkane Construction Equipment Pvt. Ltd., FL-24, Sector 13, GIDA, Gorakhpur, UP, M/s Burnet Pharmaceutical Pvt. Ltd., AL-1, Sector -13, GIDA, Gorakhpur, UP, M/s Gorakhnath Agro Industries Pvt. Ltd., FL-20/27, Sector-13, GIDA, Gorakhpur, UP, M/s Royal Savera Foods Pvt. Ltd., FL-28, Sector -13, GIDA, Gorakhpur, UP and M/s Dr. Sandhu Hatchery, FL-28, Sector -13, GIDA, Gorakhpur, UP. The same were referred to CPCB for comments with further directions to the state PCB to take action in the light of the said

reports in accordance with law. UPPCB has filed an action taken report which will be dealt with in the later part of this Order.

9. CPCB filed a report about the scale of compensation to be recovered which was considered vide order dated 29.04.2019. The report was directed to be acted upon by the State PCB. CPCB was to also deal with the remedial action against illegal drawal of groundwater. The compensation was to be revised based on actual period of violation. The Tribunal also dealt with report dated 18.04.2019 dealing with the transfer of forest land by the GIDA.

10. Finally, vide order dated 19.07.2019, reports with regard to pollution by K.M Sugar Mills, and Malvika Cement Private Limited and also pollution of River Gomti and Ramgarh Lake were considered. The reports were directed to be furnished to the CPCB and UPPCB for further action. Report on the issue of illegal construction in catchment area of Ramgarh Lake was directed to be dealt with by Urban Development Department of UP. The pollution of River Gomti, reported by the Committee, in pursuance of a separate order of the Tribunal in O.A 24/2018, was to be dealt with by the Chief Secretary, UP. The Chief Secretary was directed to file an action taken report for consideration in the matter of pollution of river stretches, i.e O.A. No. 673/2018. This aspect has to be considered in the said matter. The Urban Development Department was to file action taken report with regard to construction by GDA in catchment area of Ramgarh Lake which is still awaited. Review petition has been filed by GDA seeking liberty to place its view point before the Urban Development Department.

11. It may be mentioned that apart from the reports relating to the pollution of the waterbodies in question directly or indirectly and other connected issues referred to above, the same learned Judge was also overseeing the subject of compliance of municipal solid waste in terms of order of this Tribunal dated 16.01.2019 in *O.A. No. 606/2018* (which also covers compliance of Bio Medical Waste Management Rules, 2016 (BMW Rules)).In this regard, reports have been filed which have to be dealt with. In the same matter, Chief Secretaries of all the States were required to remain present before this Tribunal with the status of compliance on several important aspects of environment. After their appearance, directions have been issued requiring them to monitor such compliances at their level at least once in a month and at the level of the Districts Magistrates, twice in a month. Reports of such monitoring are to be furnished by the Chief Secretaries periodically to this Tribunal.

12. We may now note the reports which have been put up for consideration:

I. Reports have also been filed by the Central Pollution Control Board (CPCB) and the State Pollution Control Board (SPCB) in pursuance of earlier orders, as follows:

A. Action taken report filed by the CPCB on 17.09.2019 (Pp 2503-2517) in respect of M/s Malvika Cement Pvt. Ltd., Raebareli, Uttar Pradesh.

B. Report filed by UPPCB dated 13.09.2019 (Pp 2535-2567) in respect of M/s K.M. Sugar Mills (Distillery & Sugar Units), Masaudha, Ayodhya.

C. Action taken report filed by the UPPCB dated 23.09.2019 (Pp 2568-2590) in respect of M/s Yash Paper Ltd. and the conduct of the SDM, Ayodhya in dealing with the matter.

D. Report of the UPPCB (Pp 2467-2471) on the subject of environmental compensation payable by M/s B.R.D. Medical College & Hospital (Nehru Chikitsalay), Gorakhpur.

E. Report dated 17.07.2019 (Pp 2087-2092) on the subject of environmental compensation furnished by the UPPCB in respect of:

i. M/s Bharti Research and Breeding Firm, FL-27, Sector-13, GIDA, Gorakhpur, UP

ii. M/s Mother Shree Dairy, D-1/3D, Sector-13, GIDA, Gorakhpur, UP

iii. M/s Alkane Construction Pvt. Ltd., FL-24, Sector-13, GIDA, Gorakhpur, UP

iv. M/s Burnet Pharmaceutical Pvt. Ltd., FL-1, Sector-13, GIDA, Gorakhpur, UP

v. M/s Gorakhnath Agro Industries Pvt. Ltd., FL-20/27, Sector-13, GIDA, Gorakhpur, UP

vi. M/s Royale Savera Foods Pvt. Ltd., FL-28, Sector-13, GIDA, Gorakhpur, UP

vii. M/s Dr. Sandhu Hatchery, FL-28, Sector-13, GIDA, Gorakhpur, UP Report dated 29.07.2019 (Pp 2115-2132) on the subject of sand mining in District Jalaun and Hamirpur, Uttar Pradesh based on complaint of one Anchal Dwivedi to the effect that such sand mining was resulting in crisis of underground water and contamination of

groundwater, e-flow of the river was adversely affected and damage was being caused to the river banks and river eco-system.

II. Additional Report of the Committee dated 03.08.2019 (page no. 2446) in respect of M/s Yash Paper Mills Ltd. & Rajepur Villaage Darshan Nagar, Ayodhya, Faizabad, Uttar Pradesh on the subject of industrial pollution alongwith report of the CPCB with regard to Tihura Drain near Yash Paper Mills Ltd. (Pp 2440-2445)

III. Summary of discussions and decisions of the Committee on the subject of wetlands dated 18.07.2019 (Pp 2093-2113)

IV. Summary of discussions and decisions of the Committee on the subject of compliance of Solid Waste Management Rules by M/s Amko, Bulandshahr Road, Ghaziabad, Radisson Blue Hotel, Kaushambi, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Cantonment, Ayodhya, Sand Mining in Jalaun and Hamirpur, discharge of effluents in Gomti, recovery of compensation from hotels and industries in terms of order of this Tribunal dated 17.01.2019, in O.A No. 24/2018 and storage of 10 crore liters of effluent by Sardar Nagar Distillery and river pollution at Pilibhit, Lakhimpur Kheri, Hardoi, Sitapur, Lucknow, Raebareli, Pratapgarh, Jaunpur, Ghazipur, River Sai, River Sai Tributary of River Gomti dated 29.07.2019 (Pp 2245-2256).

V. Reports of the Committee regarding solid waste management (including Bio-medical waste):

a) dated 31.07.2019 (Pp 2135-2174) in respect of Agra;

b) dated 31.07.2019 (Pp 2177-2244) in respect of Mathura;

c) dated 31.07.2019 regarding Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBWTF) in respect of M/s JRR Waste

Management, Khasara No. 670, Mauja Dherera, Etmadpur, District Agra, U.P. (Pp 2258-2273)

d) dated 31.07.2019 on the subject of Bio Medical Waste Management at Sahara Hospital, Gomti Nagar, Uttar Pradesh (Pp 2275-2310)

e) dated 31.07.2019 on the subject of Bio Medical Waste Management at Dr. Ram Manohar Lohia Combined Hospital, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow, Mayo Medical Centre, Vikas Khand-II, Gomti Nagar, Lucknow, St. Joseph's Hospital, Vishal Khand-5, Gomti Nagar, Lucknow, Nova (FORD) Hospital, Vikash Khand-1, Patrakarpuram, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh. (Pp 2312-2363)

f) dated 01.08.2019 on the subject of Bio Medical Waste Management at S.N. Medical College & Hospital District Agra, Uttar Pradesh. (Pp 2305-2391)

g) dated 05.08.2019 on the subject of Bio Medical Waste Management at (i) Super Specialty Pediatric Hospital & PG Teaching Institute, Sector-30, Noida and (ii) Jaypee Hospital (A Unit of Jaypee Healthcare Ltd.), Sector-128, Noida Uttar Pradesh. (Pp 2394-2438).

13. We have heard learned Counsel representing applicant, learned Counsel for CPCB, UPPCB, UP Jal Nigam and learned Counsel for the Yash Paper Mill. We have also heard learned Counsel appearing on behalf of the Gorakhpur Development Authority (GDA) in *Review Application No. 47/2019* seeking review of order dated 19.07.2019.

14. While we propose to deal with the reports directly connected to the pollution of water bodies and other connected issues at Gorakhpur, or otherwise connected thereto, which have been dealt with in earlier

orders, other issues such as Solid Waste Management at places other than Gorakhpur, sand mining and pollution of River Gomti may have to be dealt with in the first instance by concerned administrative authorities and report furnished to this Tribunal for further consideration.

15. The reports relating to Solid/Bio-medical Waste Management indicate violations. Such violations need to be remedies and action taken as per law for compliance of statutory Rules, including recovery of compensation on Polluter Pays principle. In order to do so, we direct that reports relating to Solid Waste Management (including Bio-medical wastes) be forwarded to Chief Secretary, UP for appropriate further action and monitoring and a compliance report being filed in *O.A No. 606/2018 (Compliance of Municipal Solid Waste Rules by Uttar Pradesh)* within one month by e-mail. Further consideration of the matter by this Tribunal will be in the said case. As regards reports relating to sand mining are concerned, the same may also be forwarded to the Chief Secretary U.P for appropriate further action with a direction that action taken report be furnished in O.A No. 360/2015 (dealing with the subject of Sand Mining) within one month via e-mail. The reports mentioned above at items IV and V stand dealt with accordingly, as far as this order is concerned, pending further separate consideration as above.

16. We may now deal with reports at items I, II and III mentioned above.

I. Reports filed by the CPCB and the SPCB

A. Action taken report filed by the CPCB on 17.09.2019 (Pp 2503-2517) in respect of M/s Malvika Cement Pvt. Ltd., Raebareli, Uttar Pradesh.

17. In view of report of the CPCB that the unit is functioning without consent to operate and it has also installed tubewells without NOC, SPCB may take appropriate further action by way of stopping illegal activity, recovering compensation and initiating prosecution in accordance with law.

18. The Chief Secretary, Uttar Pradesh may have it examined as to how electricity connections are given without consent to operate merely on consent to establish and why tubewells are being allowed to be dug without permission of the CGWA. An appropriate mechanism be evolved to remedy such illegalities in future anywhere in the State.

B. Report filed by UPPCB dated 13.09.2019 (Pp 2535-2567) in respect of M/s K.M. Sugar Mills (Distillery & Sugar Unit), Masaudha, Ayodhya.

19. The Distillery and Sugar units of the industry have been found to be non-compliant. In view of the facts found, the units need to be immediately closed by the SPCB under Section 31(1)(c) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 in accordance with law in view of the recommendations of the joint Committee.

C. Action taken report filed by the UPPCB dated 23.09.2019 (Pp 2568-2590) in respect of M/s Yash Paper Ltd. and the conduct of the SDM, Ayodhya in dealing with the matter.

20. Effluents have been found to be discharged in the drain connecting the river for which the State Pollution Control Board (SPCB) has proposed environmental compensation of Rs. 40 lakhs. It is stated that earlier defaults by the unit were considered by this Tribunal in the year 2016 and now notice under Section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 has been issued by the SPCB proposing closure for the violations.

21. According to the farmers, bandh was erected to prevent polluting discharge damaging the agricultural fields. However, according to the SDM, the bandh was removed to check stoppage of flow of the drain. The drain needs to be kept clean and its flow need not be obstructed. An updated joint inspection report is required to be obtained from a joint Committee of CPCB and the SPCB which issue will henceforth be dealt with in *O.A. No. 399/2019, Mrs. Saraswati vs M/s Yash Paper Limited & Ors.*

D. Report of the UPPCB (Pp 2467-2471) on the subject of environmental compensation payable by M/S B.R.D. Medical College & Hospital (Nehru Chikitsalay), Gorakhpur.

22. The SPCB may proceed further in accordance with law in the light of its report.

E. Report of UPPCB dated 17.07.2019 (Pp 2087-2092) on the subject of environmental compensation to be recovered from said 7 industries in Gorakhpur.

23. The SPCB may proceed further in accordance with law.

II. Additional Report of the Committee in respect of M/s Yash Paper Mills Ltd. & Rajepur Village Darshan Nagar, Ayodhya, Faizabad, Uttar Pradesh pollution alongwith report of the CPCB with regard to Tihura Drain near Yash Paper Mills Ltd.

24. A joint Committee of CPCB and State PCB may take remedial action to ensure that the Tihura Drain is cleaned and freed from any industrial effluent or other pollutants. A status report in this regard may be filed as already directed above.

III. Discussions of the Committee relating to wetlands

25. A Joint Committee comprising the Secretaries, Urban Development, Environment and Forest and Irrigation, Flood Control Department, Uttar Pradesh, UPPCB and the CPCB may take further action in accordance with law, in the light of the report and furnish an action taken report before the next date. The Nodal Agency will be Secretary, Irrigation for coordination, compliance and furnishing report to this Tribunal. The GDA is at liberty to furnish its view point to the said Joint Committee. *Review Application No. 47/2019* stands disposed of.

List the matter for further consideration 09.12.2019.

Adarsh Kumar Goel, CP

S.P Wangdi, JM

K. Ramakrishnan, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

September 27, 2019
Original Application No. 116/2014

अनुलग्नक-3

कार्यालय जिलाधिकारी, अयोध्या

संख्या 1272 /एसटी/गोप0कक्ष/यश पेपर मिल0 /2019 दिनांक : 11-10-2019

उप जिलाधिकारी सदर,
अयोध्या।

सुश्री राम पियारी, प्रधान, ग्राम तिहुरा माझा तथा श्रीमती अनीता सिंह, ग्राम प्रधान सरायरासी, विकास खण्ड पूरा बाजार, तहसील सदर की जनसुनवाई में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जो जनहित में यश पेपर मिल के बंद नाले को खोलवाये जाने से सम्बन्धित है। प्रश्नगत प्रकरण में श्री भारत प्रसाद, अनुसचिव, उ0 प्र0 शासन, पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, लखनऊ का पत्र संख्या एनजीटी–149/81–7–2019/44(रिट)/2014 टी0सी0–2 दिनांक : 06 सितम्बर, 2019 प्राप्त हुआ है। चूंकि शासन के सन्दर्भित पत्र से विदित हो रहा है कि प्रश्नगत नाला अवैध रूप से कतिपय किसानों द्वारा अवरूद्ध किया गया है। इस सम्बन्ध में कार्यालय टिप्पणी दिनांक : 10.10.2019 पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में निर्देश दिया गया है कि सी0आर0पी0सी0 की धारा–133 के तहत विधि अनुकूल कार्यवाही करें।

अतः ग्राम प्रधान के पत्र एवं शासन के सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर इस आशय से भेजी जा रही है कि प्रकरण में सी0आर0पी0सी0 की धारा–133 के तहत विधि अनुकूल यथाशीघ्र कार्यवाही कर अवगत करायें।

संलग्नक यथोक्त।

(संतोष कुमार सिंह),
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
अयोध्या।

40

रजिस्टर्ड

संख्या–एनजीटी–149/81–7–2019/44 (रिट)/2014 टी0सी0–2

प्रेषक,

भारत प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

2– जिलाधिकारी,
अयोध्या।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 06 सितम्बर, 2019

विषय–ओ0ए0सं0 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर व अन्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या जी–30669/सी–6/विधान सभा/148/19 एवं जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र संख्या–994/टी0ए0सी0/सूचना/2019–20, दिनांक–23–7–2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक–30–8–2018 द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष मा0 पूर्व न्यायाधीश, हाईकोर्ट, इलाहाबाद श्री देवी प्रसाद सिंह जी के पत्र दिनांक 09.10.2018 एवं दिनांक 10.10.2018 को संज्ञान में लेते हुए ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिशिपल कॉर्पोरेशन, गोरखपुर में दिनांक 25.10.2018 को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"5. It was found that as per sample test report, the groundwater was contaminated and not fit for human consumption. It is required to be considererd whether a case is made out for payments of compensation to the farmers and prosecution of the Yash Paper Mill as well as the S.D.M.

6. In view of above, we direct copies of the letters received to be sent to the Chief Secretary, Uttar Pradesh and Chairman, Uttar Pradesh Pollution Control Board so that such steps as may be found necessary are taken without any delay in accordance with law and the report submitted to this Tribunal within two months.

–2/–

7. The report of the Chief Secretary, Uttar Pradesh and Chairman, Uttar Pradesh Pollution Control Board may be furnished bye-mail at fillingngt@gmail.com.
8. The learned Counsel appearing for the State of Uttar Pradesh and the State Pollution Control Board may convey the order to the concerned parties of compliance.
9. The matter will be considered further after the report is received. Put up in second week of February, 2019"

उक्तांकित आदेशों के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक–01–11–2018 द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव किया गया :–

1. श्री मधुसुदन नागराज, एस0डी0एम0, सदर फैजाबाद के विरूद्ध जांच हेतु किसी अधिकारी को शासन स्तर से नामित कर दिया जाय।
2. मै0 यश पेपर मिल लि0, दर्शन नगर फैजाबाद द्वारा किये जा रहे भू–जल प्रदूषण के संबंध में किसानों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिये जाने एवं उद्योग के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु कमेटी का गठन

3– सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि मै0 यश पेपर मिल लि0, दर्शन नगर, फैजाबाद के विरूद्ध बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए सपठित धारा, 27(2) के अन्तर्गत दिनांक 12.09.2018 को कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया था। बोर्ड द्वारा कारण बताओं नोटिस का उत्तर एवं अनुपालन का समयबद्ध कार्यक्रम दिनांक 28.09.2018 को प्रस्तुत किया गया। उद्योग द्वारा प्रस्तुत अनुपालन की जांच बोर्ड के अधिकारियों द्वारा दिनांक 04.10.2018 एवं दिनांक 05.10.2018 को किया गया तथा निरीक्षण के समय एकत्र किये गये शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूनों में प्रचालकों की मात्रा Slightly अधिक पायी गयी तथा समिति द्वारा 16 बिन्दुओं पर उद्योग को समयबद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये जाने की संस्तुति की गयी।

उक्त के क्रम में ग्राम राजेपुर जनपद फैजाबाद के स्थानीय निवासियों द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से ग्रामीणों द्वारा बनाये गये मिट्टी के बंधे को जे0सी0बी0 मशीन द्वारा क्षतिग्रस्त किये जाने एवं इस कारण उनकी कृषि भूमि में दूषित जल आने की प्राप्त शिकायत की डॉ0 मीनाक्षी कात्यायन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुल्तानपुर द्वारा की गयी जांच पर श्री मधुसूदन नागराज से शासन के पत्र, दिनांक 17.12.2018 द्वारा श्री मधुसूदन नागराज, एस0डी0एम0 सदर फैजाबाद (अयोध्या) से स्पष्टीकरण मांगा गया।

5– श्री मधुसूदन नागराज, ज्वांइट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी, सदर आयोध्या से दिनांक 29.12.2018 द्वारा उनका स्पष्टीकरण एवं उस पर जिलाधिकारी अयोध्या की उनके पत्र दिनांक 09.01.2019 द्वारा आख्या प्राप्त हुई।

श्री मधुसूदन नागराज द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण एवं उस पर जिलाधिकारी, अयोध्या की संस्तुति के क्रम में यह पाया गया कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार सन् 1359 फसली (1952 ई0) से उक्त भूमि पर नाले के रूप में पहले से ही नाला बहता चला आ रहा है। प्रश्नगत कार्यवाही के दौरान आ रही अनवरत् बरसात से पूरे क्षेत्र का पानी तथा नाले का पानी मिलकर बह रहा था और कतिपय ग्रामवासियों द्वारा ग्राम राजेपुर मांझा के गाटा संख्या 450 में बह रहे नाले में बंधा बनाकर पानी को रोक दिया गया था। फलस्वरूप नाले का पानी पूरे ग्राम में फैल रहा था, जिससे आस–पास के खेतों की फसल नष्ट होने की सम्भावना एवं संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका बढ़ गयी थी और इससे शांति भंग होने की प्रबल सम्भावना बनी हुई थी, जिसके दृष्टिगत बंद किये गये नाले को खुलवाया गया था।

उपरोक्त आख्या के दृष्टिगत श्री मधुसूदन नागराज को निर्दोष पाया गया और उनके विरूद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी। तदनुसार शासन के आदेश दिनांक 24.01.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा श्री मधुसूदन नागराज के प्रकरण में किसी प्रकार की अविधिक या अनुचित संलिप्तता न पाये जाने की सूचना सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिलाधिकारी, अयोध्या को भेज दी गयी है।

6– मै0 यश पेपर मिल लि0, दर्शन नगर फैजाबाद द्वारा किये जा रहे भू–जल प्रदूषण के संबंध में किसानों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिये जाने एवं उद्योग के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.12.2018 द्वारा एक समिति का गठन कर जांच हेतु निर्देशित किया गया। समिति को निर्देश दिये गये है कि यश पेपर मिल द्वारा किये जा रहे भूजल प्रदूषण एवं संबंधित किसानों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिये जाने तथा उद्योग के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही के संबंध में रिपोर्ट दी जायेगी।

7– समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में उद्योग द्वारा भूजल डिस्चार्ज संबंधी मानक पूरे किये जा रहे हैं। किसानों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिये जाने के संबंध में समिति द्वारा कोई संस्तुति नहीं की गयी है। उद्योग के विरूद्ध अभियोजन चलाये जाने के संबंध में समिति द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उद्योग द्वारा अनेकों पर्यावरणीय मानकों का अभी भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त के पश्चात् प्रश्नगत उद्योग द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने के संबंध में श्री राकेश प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22.07.2019 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह कहा गया है कि जनपद अयोध्या, दर्शन नगर, यश पेपर मिल द्वारा किसानों के खेतों में मिल का प्रदूषित पानी प्रवाहित किया जा रहा है, इस संबंध में प्रश्न उठाया गया था, जिससे कुछ दिनों के पश्चात् एन0जी0टी0 की कमेटी सर्वे करने के लिए आयी और पेपर मिल एवं किसानों की स्थिति को देखा, जिसके पश्चात् उन्होंने अपनी 29.11.2018 की रिपोर्ट चेयरमैन एन0जी0टी0, भारत सरकार को भेजी थी, उस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए पेपर मिल के ऊपर 15 लाख रू0

का जुर्माना एवं मिल से लेकर नदी तक एक पाइप लाइन बिछाने को कहा था, परन्तु उ0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा 05 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी अभी तक आदेश का अनुपालन नहीं कराया गया है और किसानों के खेतों में प्रदूषित पानी प्रवाहित हो रहा है, जिससे उनकी फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। किसानों में सरकार के प्रति काफी आक्रोश है। जनहित में अयोध्या, दर्शन नगर स्थित यश पेपर मिल से लेकर नदी तक पाइप लाइन का बिछाया जाना अति आवश्यक है।

इस संबंध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.08.2018 के द्वारा गठित की गयी अनुश्रवण समिति द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष दिनांक 29.11.2018 को मेसर्स यश पेपर मिल, दर्शन नगर, अयोध्या, उ0प्र0 के संबंध में एक रिपोर्ट दाखिल की गयी थी, जिसमें प्रकरण से संबंधित निम्नलिखित संस्तुतियाँ थी–

1– मेसर्स यश पेपर मिल के विरूद्ध रू0 15 लाख मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाये।

2– मेसर्स यश पेपर मिल को मिल से निकलने वाले उत्प्रवाह को सरयू नदी तक ले जाने हेतु पाइपलाईन 03 माह के अंतर्गत स्थापित करने के निर्देश दिये जाये।

3– मेसर्स यश पेपर मिल को सीवेज शुद्धीकरण संयंत्र 03 माह के अंतर्गत स्थापित किये जाने के निर्देश दिये जायें।

प्रश्नगत रिपोर्ट दिनांक 29.11.2018 पर माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 17.12.2018 को सुनवाई की गयी, जिसके उपरान्त माननीय अधिकरण द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण माननीय समिति के कार्य क्षेत्र में होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। मा0 अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.12.2018 में निर्देशित किया गया कि माननीय अनुश्रवण समिति द्वारा संस्तुत की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को प्रस्ताव मानकर मेसर्स यश पेपर मिल से विगत वर्षों में किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये। माननीय अधिकरण के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मेसर्स यश पेपर मिल के विरूद्ध रू0 40.80 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि आंकलित करते हुए अपनी रिपोर्ट माननीय अधिकरण के समक्ष दिनांक 24.05.2019 को प्रस्तुत की जा चुकी है। माननीय अधिकरण द्वारा पाइपलाईन की स्थापना के संबंध में कोई निर्देश निर्गत नहीं किये गये हैं। मेसर्स यश पेपर मिल द्वारा बैगास को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर क्राफ्ट एवं पोस्टर पेपर का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु मिल में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित

है, जिसका नियमित निरीक्षण किया जाता है तथा मिल में सीवेज शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना कर ली गई है। माह फरवरी, 2019 में शासन स्तर से गठित की गयी कमेटी द्वारा प्रश्नगत उद्योग के किये गये निरीक्षण में शुद्धीकृत उत्प्रवाह में प्रचालक मानकों के अनुरूप पाये गये थे।

मेसर्स यश पेपर मिल, दर्शन नगर, अयोध्या से निकलने वाले उत्प्रवाह से फसलों के नुकसान के संबंध में जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में अवगत कराया गया है कि फसलों में क्षति के संबंध में कहीं से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में क्षेत्र में खरीफ की फसल खड़ी है।

9— मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में उपजिलाधिकारी, सदर, अयोध्या से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा उस पर जिलाधिकारी, अयोध्या की संस्तुति से स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत नाला किसानों की भूमिधरी जमीन नहीं है, बल्कि वह सरकारी नाला है, जो यश पेपर मिल की स्थापना से बहुत पहले से प्रवाहित हो रहा है, को अवैध रूप से कतिपय किसानों द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया था। अतः प्रश्नगत नाले में उद्योग द्वारा पाइप लाइन बिछाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आख्या, जिलाधिकारी, अयोध्या से प्राप्त आख्या के आलोक में अब मे0 यश पेपर मिल लि0, फैजाबाद(अयोध्या) के विरूद्ध सम्प्रति किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिये जाने के संबंध में दाखिल की गयी रिपोर्ट पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर यथासमय नियमानुसार कार्यवाहीं की जायेगी।

भवदीय,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या-NGT-145(1)/81—7—2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि—श्री सचिन कुमार श्रीवास्वत, कम्पनी सचिव, मे0 यश पेपर्स लि0, यश नगर, अयोध्या को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
सं0-NGT-17/55–पर्या–2–19–44(रिट)/14 टी0सी0

प्रेषक,

भारत प्रसाद,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः २५ जनवरी, 2019

विषय–ओ0ए0 सं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य के संबंध में।

महोदय,

कृपया, ओ0ए0 सं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य के संबंध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 25.10.2018 को पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– उक्त ओ0ए0 में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में श्री मधुसूदन नागराज, एस0डी0एम0, सदर, अयोध्या की यश पेपर मिल, यशनगर, अयोध्या के मामले में उनकी भूमिका की जांच की गयी, जिसमें श्री नागराज का किसी प्रकार की अविधिक या अनुचित संलिप्तता नहीं पायी गयी है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त वस्तुस्थिति से मा0 एन0जी0टी0 को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

सं0 NGT-17/55–पर्या–2–19–44(रिट)/14 टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, अयोध्या।
2. श्री मधुसूदन नागराज, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी, सदर, अयोध्या।

आज्ञा से,
(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

अनुलग्नक-8

न्यायालय उप जिलामजिस्ट्रेट सदर–अयोध्या

सरकार ....बनाम ....शन्ति सिंह आदि

वाद संख्याः– 16 /2019
अन्तर्गत धारा 133 द0प्र0सं0
ग्रामः– राजेपुर, थानाः– महराजगंज, जिलाः–अयोध्या
ता0 पेशीः– 29.11.2019

विपक्षीगणः–

01 शन्ति सिंह निवासी राजेपुर
02 पारसनाथ
03 एकादशी
04 रामचेत
05 नन्दलाल
06 सरस्वती
07 रामदेव
08 रामप्रसाद
09 चिरकुट
10 सुभाष चन्द्र

निवासीगण–ग्राम राजेपुर, थाना–महराजगंज जिला–अयोध्या।

न्यूसेन्स को हटाने के लिये सशर्त आदेश अन्तर्गत धारा 133(1)द0प्र0सं0

जनसुनवाई के दौरान सुश्री रामपियारी, ग्राम प्रधान तिहुरा, श्रीमती जुगरा ग्राम प्रधान रामपुर हलवारा व श्रीमती अनीता सिंह ग्राम प्रधान सरायरासी व क्षेत्राधिकारी सदर की आख्या दिनांक 09.03.2019 के द्वारा मुझे प्रतीत कराया गया है कि एक सरकारी नाला जो बैसिंह से शुरू होकर पाराखान, तिहुरा उपरहार, रामपुर हलवारा ,रामपुर माझा ,सरायरासी माझा ,राजेपुर माझा ,मूड़ाडीहा माझा, पिपरी संग्राम माझा, पूरे चेतन मांझा और मड़ना माझा से होते हुए सरयू नदी से मिल जाता है जिससे होकर यश पेपर मिल व आस–पास के ग्रामों से जनित जल निकास उक्त सार्वजनिक नाले से होकर जाता है जिस पर आप लोगों द्वारा बन्धा बांधकर जल निकासी को अवरूद्ध किया जा रहा है। उक्त सार्वजनिक नाले पर बन्धा बांधे जाने से जल भराव होने के कारण आस–पास के खेतो में फसलो का नुकसान होना तथा क्षेत्र में संक्रामक रोगो का फैलना शुरू हो जाता है। उक्त को लेकर आम जनमानस में काफी असंतोष व क्रोध उत्पन्न हो रहा था। आस–पास के निवासियों में संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका एवं आम जनमानस के हित के दृष्टिगत आप द्वारा जल निकासी के नाले पर किये गये अवरोध को हटाया जाना आवश्यक है। उक्त से मेरा समाधान हो गया है कि आप द्वारा किया गया यह कृत्य लोक अपदूषण में आता है।

अतएव मैं उप जिलामजिस्ट्रेट, सदर, अयोध्या एतद्द्वारा आपको आदेश देता हूँ तथा आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप दिनांकित अवधि तक अनिवार्य रूप से प्रश्नगत नाले पर किये गये किसी भी प्रकार के अवरोध को हटा लें, अन्यथा 2019 वर्ष, 11 माह, 29, दिवस को मेरे न्यायालय में पूर्वान्ह 11.00 बजे उपस्थित होकर यह संदर्भित करें कि इस आदेश को क्यों न प्रवर्तित किया जाय।

आज 2019 वर्ष 11...... माह ...29.. दिवस को हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुहर लगा कर प्रदत्त।

उप जिलामजिस्ट्रेट
सदर–अयोध्या

प्रतिलिपिः थानाध्यक्ष महराजगंज को तीन प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित की एक प्रति सम्बन्धित को तामील कराकर तामीला प्रति अपनी आख्या सहित नियत तिथि के पूर्व न्यायालय पर प्रेषित करें।

उप जिलामजिस्ट्रेट
सदर–अयोध्या

अनुलग्नक- 9 47

Joint Inspection Report

Dt. 26 February, 2020

of

M/s. Yash Pakka Ltd.

(Formerly M/s. Yash Papers Limited),

Darshan Nagar, Ayodhya

(U.P.).

"It is evident from the above observation, the ponding and obstacle of flow causes anaerobic condition in the Tihura drain, which also detoriating the water quality. Hence, the District Administration may be directed to immediately remove all bandha made on Tihura drain. Further, the major contribution of waste water flow in Tihura drain is due to M/s. Yash Pakka Ltd. Hence, District Administration in association with the unit (Yash Pakka Ltd.) may jointly carry out de-sludging of drain and also make proper arrangement such as pucca drain and provide gradient to ensure free flow of water. The District administration may also ensure that waste water from the villages by the side of the Tihura drain is discharged only after appropriate treatment."

During inspection it was observed that de-sludging of Tihura drain has been made by the unit M/s. Yash Pakka Ltd. Photograph de-sludging of Tihura Nala provided by the unit <u>**Annexure No.-13**</u>. At the time inspection it was found that bandha made in Tihura Nala for obstructing the flow of Tihura Nala at village Rajepur Manjha has not been removed. Photograph of bandha at Rajepur Manjha is enclosed as <u>**Annexure-14**</u>. Due to obstruction in natural flow of Tihura Nala possibility of ponding, anaerobic condition and detoriation in water quality of Tihura Nala may not be ruled out.

The above inspection/survey report is submitted for your perusal and further necessary action.

3/3/2020	Swami Nath Ram 03.03.2020
(C.B. Verma)	(Swami Nath Ram)
E.E.	R.O.
CEO-6 H.O. Lucknow	Ayodhya

<u>**Chief Environmental Officer (C-6),**</u>

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No 445759 /सी–6/जल–53/फैजा0/19 दिनांक 17-20

मानननीय एन0जी0टी0 प्रकरण
ई–मेल द्वारा

सेवा में,
जिलाधिकारी,
अयोध्या।

विषयः मानननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 के अनुपालन में मेसर्स यश पैका लि0 (पूर्व नाम मेसर्स यश पेपर्स लि0), दर्शन नगर, अयोध्या के शुद्धीकृत उत्प्रवाह का बिना किसी अवरोध के तिहुरा नाले के माध्यम से निस्तारित करने तथा तिहुरा नाले में समीपवर्ती गॉव का वेस्ट वाटर बिना शुद्धीकृत किये निस्तारित न किये जाने के सम्बन्ध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत निर्देश।

महोदय,

यह कि मानननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 के द्वारा मेसर्स यश पैका लि0 (पूर्व नाम मेसर्स यश पेपर्स लि0), दर्शन नगर, अयोध्या के सम्बन्ध में पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत है:–

According to the farmers, bandh was erected to prevent polluting discharge damaging the agricultural fields. However, according to the SDM, the bandh was removed to check stoppage of flow of the drain. The drain needs to be kept clean and its flow need not be obstructed. An updated joint inspection report is required to be obtained from a joint Committee of CPCB and the SPCB which issue will henceforth be dealt with in *O.A. No. 399/2019, Mrs. Saraswati vs M/s Yash Paper Limited & Ors.*

A joint Committee of CPCB and State PCB may take remedial action to ensure that the Tihura Drain is cleaned and freed from any industrial effluent or other pollutants. A status report in this regard may be filed as already directed above.

यह कि मानननीय अधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 23.10.2019 एवं 24.10.2019 को किया गया। समिति द्वारा निम्न संस्तुति की गयी है:–

It is evident from the above observation, the ponding and obstacle of flow causes anaerobic condition in the Tehura Drain, which also detoriating the water quality. Hence, the District Administration may be directed to immediately removed all bandha made on the Tehura Drain. Further, the major contribution of waste water flow in Tehura Drain is due to M/s Yash Pakka Ltd. Hence, District Administration in association with the unit (M/s Pakka Ltd.) may jointly carry out de-sludging of drain and also make proper arrangement such as pucca drain and provide gradient to ensure free flow of water. The District Administration may also ensure that waste water from the villages by the side of the Tehura Drain is discharge only after appropriate treatment.

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत आपको निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. यह कि तिहुरा नाले में किसानों द्वारा बनाये गये समस्त बन्धों को तुरन्त हटा लिया जाये।
2. यह कि तिहुरा नाले के किनारे स्थित गॉव से वेस्ट वाटर बिना शुद्धीकृत किये तिहुरा नाले में निस्तारित न किया जाये।
3. यह कि तिहुरा नाले मे एकत्र स्लज को मेसर्स यश पैका लि0 (पूर्व नाम मेसर्स यश पेपर्स लि0), दर्शन नगर, अयोध्या के माध्यम से निकालने की व्यवस्था की जाये, जिससे तिहुरा नाले में बिना अवरोध के उद्योग का शुद्धीकृत उत्प्रवाह निस्तारित हो सके।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. रीजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय पप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, भू–तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
3. मेसर्स यश पैका लि0 (पूर्व नाम मेसर्स यश पेपर्स लि0),दर्शन नगर, अयोध्या।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

अनुलग्नक-II

संख्या–NGT–254/81–7–2020–44(रिट)/16 टी0सी0–2

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु–7 लखनऊ : दिनांक : 12 जून, 2020

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

".....According to the farmers, bandh was erected to prevent polluting discharge damaging the agricultural fields. However, according to the SDM, the bandh was removed to check stoppage of flow of the drain. The drain needs to be kept clean and its flow need not be obstructed. An updated joint inspection report is required to be obtained from a joint Committee of CPCB and the SPCB which issue will henceforth be dealt with in O.A. No. 399/2019, Mrs. Saraswati vs M/s Yash Paper Limited & Ors. .....

".....A joint Committee of CPCB and State PCB may take remedial action to ensure that the Tihura Drain is cleaned and freed from any industrial effluent or other pollutants. A status report in this regard may be filed as already directed above. ....."

मा0 अधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 23.10.2019 तथा 24.10.2019 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या में निम्न संस्तुतियाँ की गयी हैं :–

It is evident from the above observation, the ponding and obstacle of flow causes anareobic condition in the Tehura Drain, which also detoriating the water quality. Hence, the District Administration may be directed to immediately removed all bandha made on the Tehura Drain. Further, the major contribution of waste water flow in Tehura Drain is due to M/s Yash Pakka Ltd. Hence, District Administration in association with the unit (M/s Pakka Ltd.) may jointly carry out de-sludging of drain and also make proper arrangement such as pucca drain and provide gradient to ensure free flow of water. The District Administration may also ensure that waste water from the villages by the side of the Tehura Drain is discharge only after appropriate treatment.

उक्त संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुये आपको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र

संख्या--एच45759 / सी--6 / जल--53 / फैजा0 / 2019, दिनांक 01.01.2020 द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गये हैं :--

1-- यह कि तिहुरा नाले में किसानों द्वारा बनाये गये समस्त बन्धों को तुरन्त हटा लिया जाये।

2-- यह कि तिहुरा नाले के किनारे स्थित गाँव से वेस्ट वाटर बिना शुद्धिकृत किये तिहुरा नाले में निस्तारित न किया जाये।

3-- यह कि तिहुरा नाले में एकत्र स्लज को मैसर्स यश पैका लि0 (पूर्व नाम मैसर्स यश पेपर्स लि0), दर्शन नगर, अयोध्या के माध्यम से निकालने की व्यवस्था की जाये, जिससे तिहुरा नाले में बिना अवरोध के उद्योग का शुद्धीकृत उत्प्रवाह निस्तारित हो सके।

उक्त निर्देशों की अनुपालन आख्या प्राप्त न होने एवं तिहुरा नाला खुलवाने से संबंधित शिकायते प्राप्त होने के कारण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या--एच49416 / सी--6 / जल--53 / अयोध्या / 2020, दिनांक 28.05.2020 द्वारा आपको अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या--116 / 2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में आच्छादित है, जिसमें अग्रिम सुनवाई दिनांक 16.06.2020 को नियत है और प्रकरण पर जारी निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से मा0 अधिकरण को नियत तिथि से पूर्व अवगत कराया जाना है।

2-- अतः उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा--5 के अन्तर्गत जारी निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिनांक 14.06.2020 तक उपलब्ध कराते हुए शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे अनुपालन आख्या की स्थिति से मा0 अधिकरण को नियत तिथि से पूर्व अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या--NGT--254 / 81--7--2020--44(रिट) / 16 टी0सी0--2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि--सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र संख्या--जी32874 / सी--6 / जल--53 / अयोध्या / 2020, दिनांक 09.06.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

PHOTO OF OBSTRUCTION CREATED IN RAJEPUR MANJHA, VILLAGE – RAJEPUR, PARGANA – HAVELI AWADH, DISTRICT - AYODHYA

अनुलग्नक-12

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H49416/सी-6/जल-53/फैजा/2020 Dated 28-05-20

अनुस्मारक
माननीय एन0जी0टी0 प्रकरण
ई-मेल द्वारा

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 के अनुपालन में मेसर्स यश पैका लि0 (पूर्व नाम मेसर्स यश पेपर्स लि0), दर्शन नगर, अयोध्या के शुद्धीकृत उत्प्रवाह का बिना किसी अवरोध के तिहुरा नाले के माध्यम से निस्तारित करने तथा तिहुरा नाले में समीपवर्ती गॉव का वेस्ट वाटर बिना शुद्धीकृत किये निस्तारित न किये जाने के सम्बन्ध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत निर्देश।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच45759/सी-6/जल-53/फैजा0/2019 दिनांक 01.01.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में दायर ओ0ए0सं0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 को दृष्टिगत प्रकरण पर आपको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 की धारा-5 के अन्तर्गत निम्न निर्देश जारी किये गये है :-

1. यह कि तिहुरा नाले में किसानों द्वारा बनाये गये समस्त बन्धों को तुरन्त हटा लिया जाये।
2. यह कि तिहुरा नाले के किनारे स्थित गॉव से वेस्ट वाटर बिना शुद्धीकृत किये तिहुरा नाले में निस्तारित न किया जाये।
3. यह कि तिहुरा नाले मे एकत्र स्लज को मेसर्स यश पैका लि0 (पूर्व नाम मेसर्स यश पेपर्स लि0), दर्शन नगर, अयोध्या के माध्यम से निकालने की व्यवस्था की जाये, जिससे तिहुरा नाले में बिना अवरोध के उद्योग का शुद्धीकृत उत्प्रवाह निस्तारित हो सके।

उक्त निर्देशों की अनुपालन आख्या अभी तक बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है। ज्ञातव्य है कि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में आच्छादित है, जिसमें अग्रिम सुनवाई दिनांक 16.06.2020 को नियत है। प्रकरण पर जारी निर्देश के अनुपालन की स्थिति से मा0 अधिकरण को नियत तिथि से पूर्व अवगत कराया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों को आदेशित करने का कष्ट करें, जिससे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सकें तथा नियत तिथि से पूर्व अद्यतन स्थिति मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित हो सके।

भवदीय

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. रीजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, भू-तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या।
3. मेसर्स यश पैका लि0 (पूर्व नाम मेसर्स यश पेपर्स लि0), दर्शन नगर, अयोध्या।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

अनुलग्नक- 13

Respected Sir,

Find attached herewith complaint of Mrs Ram Piyari, Pradhan, Gram Panchayat, Tihura Manjha, Khand Poora Bazar, Post Darshan Nagar, District Ayodhya and another complaint of Mrs Anita Singh, Pradhan, Gram Panchayat, Sarairasi, Khand Poora Bazar, Post Sarairasi, District Ayodhya regarding encroachment and obstruction in flow of water made by some wrong-doers over Tihura nullah . Similar complaints were received earlier by the Oversight Committee, which had been referred to you on January 31, 2020 and February 13, 2020 for redressal of the grievance of said complainants, but the grievance of the complainants does not appear to have been redressed.

I am directed to request you to please look into the matter and submit an action taken report to this Committee within two weeks.

Regards,

L.N.Soni
PPS to Hon'ble Chairman
Oversight Committee
NGT, UP, Lucknow.

Complaint of Ram Piyari.pdf

Complaint of Anita Singh.pdf

अनुलग्नक- 14

संख्या–NGT–254/81–7–2020–44(रिट)/16 टी0सी0–2

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु–7 लखनऊ : दिनांक : 12 जून, 2020

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

"......According to the farmers, bandh was erected to prevent polluting discharge damaging the agricultural fields. However, according to the SDM, the bandh was removed to check stoppage of flow of the drain. The drain needs to be kept clean and its flow need not be obstructed. An updated joint inspection report is required to be obtained from a joint Committee of CPCB and the SPCB which issue will henceforth be dealt with in O.A. No. 399/2019, Mrs. Saraswati vs M/s Yash Paper Limited & Ors. ....

"......A joint Committee of CPCB and State PCB may take remedial action to ensure that the Tihura Drain is cleaned and freed from any industrial effluent or other pollutants. A status report in this regard may be filed as already directed above. ...."

मा0 अधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 23.10.2019 तथा 24.10.2019 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या में निम्न संस्तुतियाँ की गयी हैं :–

It is evident from the above observation, the ponding and obstacle of flow causes anareobic condition in the Tehura Drain, which also detoriating the water quality. Hence, the District Administration may be directed to immediately removed all bandha made on the Tehura Drain. Further, the major contribution of waste water flow in Tehura Drain is due to M/s Yash Pakka Ltd. Hence, District Administration in association with the unit (M/s Pakka Ltd.) may jointly carry out de-sludging of drain and also make proper arrangement such as pucca drain and provide gradient to ensure free flow of water. The District Administration may also ensure that waste water from the villages by the side of the Tehura Drain is discharge only after appropriate treatment.

उक्त संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुये आपको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र

संख्या–एच45759 / सी–6 / जल–53 / फैजा0 / 2019, दिनांक 01.01.2020 द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गये हैं :–

1– यह कि तिहुरा नाले में किसानों द्वारा बनाये गये समस्त बन्धों को तुरन्त हटा लिया जाये।

2– यह कि तिहुरा नाले के किनारे स्थित गाँव से वेस्ट वाटर बिना शुद्धिकृत किये तिहुरा नाले में निस्तारित न किया जाये।

3– यह कि तिहुरा नाले में एकत्र स्लज को मैसर्स यश पैका लि0 (पूर्व नाम मैसर्स यश पेपर्स लि0), दर्शन नगर, अयोध्या के माध्यम से निकालने की व्यवस्था की जाये, जिससे तिहुरा नाले में बिना अवरोध के उद्योग का शुद्धीकृत उत्प्रवाह निस्तारित हो सके।

उक्त निर्देशों की अनुपालन आख्या प्राप्त न होने एवं तिहुरा नाला खुलवाने से संबंधित शिकायते प्राप्त होने के कारण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–एच49416 / सी–6 / जल–53 / अयोध्या / 2020, दिनांक 28.05.2020 द्वारा आपको अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–116 / 2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में आच्छादित है, जिसमें अग्रिम सुनवाई दिनांक 16.06.2020 को नियत है और प्रकरण पर जारी निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से मा0 अधिकरण को नियत तिथि से पूर्व अवगत कराया जाना है।

2– अतः उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत जारी निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिनांक 14.06.2020 तक उपलब्ध कराते हुए शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे अनुपालन आख्या की स्थिति से मा0 अधिकरण को नियत तिथि से पूर्व अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या–NGT–254 / 81–7–2020–44(रिट) / 16 टी0सी0–2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि–सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–जी32874 / सी–6 / जल–53 / अयोध्या / 2020, दिनांक 09.06.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

अनुलग्नक - 15

Item No. 04 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(By Video Conferencing)

Original Application No. 116/2014
(With Report dated 15.06.2020)

Meera Shukla Respondent(s)

Versus

Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 16.06.2020

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

Applicant(s): Ms. Katyani, Advocate

Respondent(s): Mr. Mukesh Verma, Advocate for State of UP
Mr. Pradeep Mishra, Advocate for UPPCB
Mr. Raj Kumar, Advocate for CPCB
Mr. I.K. Kapila, Advocate for UP Jal Nigam

ORDER

1. The issue for consideration is the remedial action for contamination of water bodies and ground water, specially Ramgarh Lake, Ami River, Rapti River and Rohani River in and around District Gorakhpur, Uttar Pradesh.

2. The matter was exhaustively reviewed vide order dated 23.08.2018. The Tribunal noted the allegation that Ramgarh Lake and the Ami, Rapti and Rohani Rivers in and around District Gorakhpur were severely polluted on account of discharge of untreated sewage and industrial effluents. Steps required to prevent contamination of water bodies and groundwater were not

being taken. This was affecting the farmers and inhabitants, flora, fauna and ecology of area and causing degradation of the environment. 103 water bodies are under threat. There was no proper management of solid waste and no designated scientific sanitary landfill. There was encroachment of the Ramgarh Taal. Common Effluent Treatment Plant ("CETP") had not been set up. Industries were not complying with the environmental norms. There was high organic load in River Ami and Rapti. Sugar and Distillery units were also causing pollution. 557 persons died in the year 2012. About 50,000 persons died in the last 30 years. It was also noted that Ami, Rapti and Rohani Rivers are the tributaries of Ghaghara which ultimately terminated into River Ganga. For public health at Gorakhpur, clean water supply was necessary, apart from cleaning of water bodies and other steps for protection of environment.

3. The Tribunal issued directions for the purpose and a Monitoring Committee was constituted headed by former Judge of Allahabad High Court with representatives of the Central Pollution Control Board ("CPCB"), Uttar Pradesh Pollution Control Board ("UPPCB") and State Jal Nigam to oversee compliance of directions of this Tribunal already issued on the subject of closing the sources of contaminated water (like handpumps) and taking steps for supply of potable water, to ensure proper waste management and deal with other issues mentioned above. The Committee was to carry out inspection of the industries causing pollution of water bodies, drains and rivers in the area and Effluent Treatment Plants ("ETPs"), Sewage Treatment Plants ("STPs"), CETP and Solid Waste Management ("SWM") sites. Action plan was required to be

prepared for solid waste processing, proper functioning of ETPs and CETP and also for making available potable water to the inhabitants, apart from undertaking rehabilitation program for compensating the victims who had suffered. The Committee was to furnish reports to this Tribunal for further action.

4. The matter has been dealt with on several dates since then in the light of reports received from the Committee. The Tribunal passed directions with regard to installation of STPs and CETP by Gorakhpur Industrial Development Authority ("GIDA"), closure of industries operating illegally, adding to the pollution of the Rivers or their tributaries, shifting of construction activities from the floodplain zones/catchment area, unscientific disposal of municipal and other wastes. The earlier orders include orders dated 25.10.2018, 17.12.2018, 07.03.2019, 29.04.2019 and 19.07.2019.

5. The matter was last dealt with on 27.09.2019 in the light of above reports and earlier orders and it was observed:

> *"6. Order dated 25.10.2018 dealt with the pollution caused by M/s. Yash Paper Mills, Faizabad by discharge in Tihura Drain affecting the agricultural lands as result of demolishing the clay barrier as per directions from the Sub Divisional Magistrate. Allegation of alleged collusion of SDM of the area was directed to be looked into by the Chief Secretary, UP. The stand of the SDM is that the barrier was removed to ensure flow of the drain, though the rain has to be kept clean and free from discharge of effluents.*
>
> *7. Order dated 17.12.2018 dealt with the damage to the forest land by Bajaj Sugar Mill, Golagokaran Nath, District Lakhimpur, pollution by M/s Gallant Ispat Limited, Gorakhpur by discharging effluent into a drain joining Ami River, pollution by M/s Rungta Industries Pvt. Ltd. and M/s Crazy Snacks Ltd. discharging effluent in GIDA drain, pollution by M/s Yash Paper Mills, and pollution of Ami River by sewage generated in Gorakhpur, Sahjanwa, Unwal, Kauriram and Khajni, pollution by M/s Bajaj Hindustan*

Limited (Distillery Unit), illegal construction around Ramgarh lake and absence of sanitation, violation of environmental norms by Baba Raghav Das Medical College, Gorakhpur. The Tribunal directed the State PCB to take necessary action for enforcement of law by closing the polluting activity and recover compensation on "polluter pays principle" and report to this Tribunal. With regard to encroachment action was required to be taken by Principal Secretary, Urban Development and report was to be given to this Tribunal. With regard to violation of medical norms, report was to be given by Health Department. Jal Nigam was to take action for STPs and GIDA for CETPs. Other actions were to be taken by Environments and Irrigation departments, Nagar Nigam and District Magistrate, Siddharth Nagar and compliance reports furnished. Against this said order, appeal of the State of UP has been dismissed on 01.07.2019 by the Hon'ble Supreme Court, being Civil Appeal No. 5414/2019. Compliance reports have not been received from all the concerned authorities except from UPPCB to which reference will be made later.

8. Order dated 07.03.2019 dealt with reports dated 08.02.2019 from the Committee with regard to the pollution caused by M/s Bharati Research and Breeding Farm, FL-27, Sector -13, GIDA, Gorakhpur, UP, M/s Mother Shree Dairy, D-1/3D, Sector 13, GIDA, Gorakhpur, UP, M/s Alkane Construction Equipment Pvt. Ltd., FL-24, Sector 13, GIDA, Gorakhpur, UP, M/s Burnet Pharmaceutical Pvt. Ltd., AL-1, Sector -13, GIDA, Gorakhpur, UP, M/s Gorakhnath Agro Industries Pvt. Ltd., FL-20/27, Sector-13, GIDA, Gorakhpur, UP, M/s Royal Savera Foods Pvt. Ltd., FL-28, Sector -13, GIDA, Gorakhpur, UP and M/s Dr. Sandhu Hatchery, FL-28, Sector -13, GIDA, Gorakhpur, UP. The same were referred to CPCB for comments with further directions to the state PCB to take action in the light of the said reports in accordance with law. UPPCB has filed an action taken report which will be dealt with in the later part of this Order.

9. CPCB filed a report about the scale of compensation to be recovered which was considered vide order dated 29.04.2019. The report was directed to be acted upon by the State PCB. CPCB was to also deal with the remedial action against illegal drawal of groundwater. The compensation was to be revised based on actual period of violation. The Tribunal also dealt with report dated 18.04.2019 dealing with the transfer of forest land by the GIDA.

10. Finally, vide order dated 19.07.2019, reports with regard to pollution by K.M Sugar Mills, and Malvika Cement Private Limited and also pollution of River Gomti and Ramgarh Lake were considered. The reports were directed to be furnished to the CPCB and UPPCB for further action. Report on the issue of illegal construction in catchment area of Ramgarh Lake was directed to be dealt with by Urban Development Department of UP. The pollution of River Gomti, reported by the Committee, in pursuance of a separate order

of the Tribunal in O.A 24/2018, was to be dealt with by the Chief Secretary, UP. The Chief Secretary was directed to file an action taken report for consideration in the matter of pollution of river stretches, i.e O.A. No. 673/2018. This aspect has to be considered in the said matter. The Urban Development Department was to file action taken report with regard to construction by GDA in catchment area of Ramgarh Lake which is still awaited. Review petition has been filed by GDA seeking liberty to place its view point before the Urban Development Department.

11. It may be mentioned that apart from the reports relating to the pollution of the waterbodies in question directly or indirectly and other connected issues referred to above, the same learned Judge was also overseeing the subject of compliance of municipal solid waste in terms of order of this Tribunal dated 16.01.2019 in O.A. No. 606/2018 (which also covers compliance of Bio Medical Waste Management Rules, 2016 (BMW Rules)).In this regard, reports have been filed which have to be dealt with. In the same matter, Chief Secretaries of all the States were required to remain present before this Tribunal with the status of compliance on several important aspects of environment. After their appearance, directions have been issued requiring them to monitor such compliances at their level at least once in a month and at the level of the Districts Magistrates, twice in a month. Reports of such monitoring are to be furnished by the Chief Secretaries periodically to this Tribunal."

12. We may now note the reports which have been put up for consideration:

I. Reports have also been filed by the Central Pollution Control Board (CPCB) and the State Pollution Control Board (SPCB) in pursuance of earlier orders, as follows:

A. Action taken report filed by the CPCB on 17.09.2019 (Pp 2503-2517) in respect of M/s Malvika Cement Pvt. Ltd., Raebareli, Uttar Pradesh.

B. Report filed by UPPCB dated 13.09.2019 (Pp 2535-2567) in respect of M/s K.M. Sugar Mills (Distillery & Sugar Units), Masaudha, Ayodhya.

C. Action taken report filed by the UPPCB dated 23.09.2019 (Pp 2568-2590) in respect of M/s Yash Paper Ltd. and the conduct of the SDM, Ayodhya in dealing with the matter.

D. Report of the UPPCB (Pp 2467-2471) on the subject of environmental compensation payable by M/s B.R.D. Medical College & Hospital (Nehru Chikitsalay), Gorakhpur.

E. Report dated 17.07.2019 (Pp 2087-2092) on the subject of environmental compensation furnished by the UPPCB in respect of:

i. *M/s Bharti Research and Breeding Firm, FL-27, Sector-13, GIDA, Gorakhpur, UP*
ii. *M/s Mother Shree Dairy, D-1/3D, Sector-13, GIDA, Gorakhpur, UP*
iii. *M/s Alkane Construction Pvt. Ltd., FL-24, Sector-13, GIDA, Gorakhpur, UP*
iv. *M/s Burnet Pharmaceutical Pvt. Ltd., FL-1, Sector-13, GIDA, Gorakhpur, UP*
v. *M/s Gorakhnath Agro Industries Pvt. Ltd., FL-20/27, Sector-13, GIDA, Gorakhpur, UP*
vi. *M/s Royale Savera Foods Pvt. Ltd., FL-28, Sector-13, GIDA, Gorakhpur, UP*
vii. *M/s Dr. Sandhu Hatchery, FL-28, Sector-13, GIDA, Gorakhpur, UP Report dated 29.07.2019 (Pp 2115-2132) on the subject of sand mining in District Jalaun and Hamirpur, Uttar Pradesh based on complaint of one Anchal Dwivedi to the effect that such sand mining was resulting in crisis of underground water and contamination of groundwater, e-flow of the river was adversely affected and damage was being caused to the river banks and river eco-system.*

II. *Additional Report of the Committee dated 03.08.2019 (page no. 2446) in respect of M/s Yash Paper Mills Ltd. & Rajepur Villaage Darshan Nagar, Ayodhya, Faizabad, Uttar Pradesh on the subject of industrial pollution alongwith report of the CPCB with regard to Tihura Drain near Yash Paper Mills Ltd. (Pp 2440-2445)*

III. *Summary of discussions and decisions of the Committee on the subject of wetlands dated 18.07.2019 (Pp 2093-2113)*

IV. *Summary of discussions and decisions of the Committee on the subject of compliance of Solid Waste Management Rules by M/s Amko, Bulandshahr Road, Ghaziabad, Radisson Blue Hotel, Kaushambi, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Cantonment, Ayodhya, Sand Mining in Jalaun and Hamirpur, discharge of effluents in Gomti, recovery of compensation from hotels and industries in terms of order of this Tribunal dated 17.01.2019, in O.A No. 24/2018 and storage of 10 crore liters of effluent by Sardar Nagar Distillery and river pollution at Pilibhit, Lakhimpur Kheri, Hardoi, Sitapur, Lucknow, Raebareli, Pratapgarh, Jaunpur, Ghazipur, River Sai, River Sai Tributary of River Gomti dated 29.07.2019 (Pp 2245-2256).*

V. *Reports of the Committee regarding solid waste management (including Bio-medical waste):*

a) *dated 31.07.2019 (Pp 2135-2174) in respect of Agra;*

b) *dated 31.07.2019 (Pp 2177-2244) in respect of Mathura;*

c) *dated 31.07.2019 regarding Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBWTF) in respect of M/s JRR Waste Management, Khasara No. 670, Mauja Dherera, Etmadpur, District Agra, U.P. (Pp 2258-2273)*

d) *dated 31.07.2019 on the subject of Bio Medical Waste Management at Sahara Hospital, Gomti Nagar, Uttar Pradesh (Pp 2275-2310)*

e) *dated 31.07.2019 on the subject of Bio Medical Waste Management at Dr. Ram Manohar Lohia Combined Hospital, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow, Mayo Medical Centre, Vikas Khand-II, Gomti Nagar, Lucknow, St. Joseph's Hospital, Vishal Khand-5, Gomti Nagar, Lucknow, Nova (FORD) Hospital, Vikash Khand-1, Patrakarpuram, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh. (Pp 2312-2363)*

f) *dated 01.08.2019 on the subject of Bio Medical Waste Management at S.N. Medical College & Hospital District Agra, Uttar Pradesh. (Pp 2305-2391)*

g) *dated 05.08.2019 on the subject of Bio Medical Waste Management at (i) Super Specialty Pediatric Hospital & PG Teaching Institute, Sector-30, Noida and (ii) Jaypee Hospital (A Unit of Jaypee Healthcare Ltd.), Sector-128, Noida Uttar Pradesh. (Pp 2394-2438)*

13. We have heard learned Counsel representing applicant, learned Counsel for CPCB, UPPCB, UP Jal Nigam and learned Counsel for the Yash Paper Mill. We have also heard learned Counsel appearing on behalf of the Gorakhpur Development Authority (GDA) in Review Application No. 47/2019 seeking review of order dated 19.07.2019.

14. ***While we propose to deal with the reports directly connected to the pollution of water bodies and other connected issues at Gorakhpur, or otherwise connected thereto, which have been dealt with in earlier orders, other issues such as Solid Waste Management at places other than Gorakhpur, sand mining and pollution of River Gomti may have to be dealt with in the first instance by concerned administrative authorities and report furnished to this Tribunal for further consideration.***

15. The reports relating to Solid/Bio-medical Waste Management indicate violations. Such violations need to be remedies and action taken as per law for compliance of statutory Rules, including recovery of compensation on Polluter Pays principle. ***In order to do so, we direct that reports relating to Solid Waste Management (including Bio-medical wastes) be forwarded to Chief Secretary, UP for appropriate further action and monitoring and a compliance report being filed in O.A No. 606/2018***

(Compliance of Municipal Solid Waste Rules by Uttar Pradesh) within one month by e-mail. Further consideration of the matter by this Tribunal will be in the said case. As regards reports relating to sand mining are concerned, the same may also be forwarded to the Chief Secretary U.P for appropriate further action with a direction that action taken report be furnished in O.A No. 360/2015 (dealing with the subject of Sand Mining) within one month via e-mail. The reports mentioned above at items IV and V stand dealt with accordingly, as far as this order is concerned, pending further separate consideration as above.

16. We may now deal with reports at items I, II and III mentioned above.

I. Reports filed by the CPCB and the SPCB

A. Action taken report filed by the CPCB on 17.09.2019 (Pp 2503-2517) in respect of M/s Malvika Cement Pvt. Ltd., Raebareli, Uttar Pradesh.

17. In view of report of the CPCB that the unit is functioning without consent to operate and it has also installed tubewells without NOC, SPCB may take appropriate further action by way of stopping illegal activity, recovering compensation and initiating prosecution in accordance with law.

18. The Chief Secretary, Uttar Pradesh may have it examined as to how electricity connections are given without consent to operate merely on consent to establish and why tubewells are being allowed to be dug without permission of the CGWA. An appropriate mechanism be evolved to remedy such illegalities in future anywhere in the State.

B. Report filed by UPPCB dated 13.09.2019 (Pp 2535-2567) in respect of M/s K.M. Sugar Mills (Distillery & Sugar Unit), Masaudha, Ayodhya.

19. The Distillery and Sugar units of the industry have been found to be non-compliant. In view of the facts found, the units need to be immediately closed by the SPCB under Section 31(1)(c) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 in accordance with law in view of the recommendations of the Joint Committee.

C. Action taken report filed by the UPPCB dated 23.09.2019 (Pp 2568-2590) in respect of M/s Yash Paper Ltd. and the conduct of the SDM, Ayodhya in dealing with the matter.

20. Effluents have been found to be discharged in the drain ***connecting the river for which the State Pollution Control Board (SPCB) has proposed environmental compensation of Rs. 40 lakhs. It is stated that earlier defaults by the unit were considered by this Tribunal in the year 2016 and now notice under Section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 has been issued by the SPCB proposing closure for the violations.***

21. According to the farmers, bandh was erected to prevent polluting discharge damaging the agricultural fields. However, according to the SDM, the bandh was removed to check stoppage of flow of the drain. The drain needs to be kept clean and its flow need not be obstructed. An updated joint inspection report is required to be obtained from a joint Committee of CPCB and the SPCB which issue will henceforth be dealt with in O.A. No. 399/2019, Mrs. Saraswati vs M/s Yash Paper Limited & Ors.

D. Report of the UPPCB (Pp 2467-2471) on the subject of environmental compensation payable by M/s B.R.D. Medical College & Hospital (Nehru Chikitsalay), Gorakhpur.

22. The SPCB may proceed further in accordance with law in the light of its report.

E. Report of UPPCB dated 17.07.2019 (Pp 2087-2092) on the subject of environmental compensation to be recovered from said 7 industries in Gorakhpur.

23. The SPCB may proceed further in accordance with law.

II. Additional Report of the Committee in respect of M/s Yash Paper Mills Ltd. & Rajepur Villaage Darshan Nagar, Ayodhya, Faizabad, Uttar Pradesh pollution alongwith report of the CPCB with regard to Tihura Drain near Yash Paper Mills Ltd.

24. A joint Committee of CPCB and State PCB may take remedial action to ensure that the Tihura Drain is cleaned and freed from any industrial effluent or other pollutants. A status report in this regard may be filed as already directed above.

III. Discussions of the Committee relating to wetlands

25. A Joint Committee comprising the Secretaries, Urban Development, Environment and Forest and

Irrigation, Flood Control Department, Uttar Pradesh, UPPCB and the CPCB may take further action in accordance with law, in the light of the report and furnish an action taken report before the next date. The Nodal Agency will be Secretary, Irrigation for coordination, compliance and furnishing report to this Tribunal. The GDA is at liberty to furnish its view point to the said Joint Committee. Review Application No. 47/2019 stands disposed of.

List the matter for further consideration 09.12.2019."

6. In pursuance of above, following reports have been filed:

(a) 'Action Taken Report' filed on 27.11.2019 by UP Jal Nigam on the issue of capping of drains discharging pollutants in Ramgarh Lake and preventing pollution of River Gomti, Saryu and other concerned tributaries.

(b) 'Compliance report' of Chief Secretary, UP dated 28.11.2019 with regard to pollution of Ramgarh Lake, Ami River, Rapti River and Rohani River, pollution of River Gomti.

(c) Report filed by the UPPCB dated 12.06.2020 mentioning the status of steps taken to comply with the earlier orders of this Tribunal.

(d) 'Action Taken Report' filed on behalf of the Divisional Forest Office, Siddharth Nagar dated 10.02.2020 in the matter of plantation of indigenous trees on both sides of the Ami River upto a distance of 5 km etc.

(e) Further report dated 20.12.2019 filed by the UP State PCB.

(f) A compliance report has also been filed on 13.06.2020 by Yash Pakka Ltd. (formerly known as Yash Papers Limited).

7. Our attention has also been drawn to the following reports filed by the Committee headed by Justice D.P. Singh[1] not dealt with in the order dated 27.9.2019:

(a) Report dated 30.09.2019 with regard to M/s Swaroop Chemicals Pvt. Ltd., Tewariganj, Chinhat, Lucknow, UP.

(b) Report dated 30.09.2019 with regard to M/s Saraya Distillery, Sardar Nagar, Gorakhppur, UP.

(c) Report dated 30.09.2019 with regard to STP Sahara Estate (Ramgarh Taal) at Gorakhpur, UP.

(d) Report dated 12.09.2019 with regard to (a) River Saryu pollution through "Retiya drain" & "Kakrahi drain", (b) Ayodhya, Faizabad, Cantonment, Ayodhya, Faizabad and (c) Nagar Nigam, Ayodhya, Faizabad.

(e) Report dated 30.09.2020 with regard to Chilua Taal, Sonauli Road, Gorakhpur, UP.

(f) Report of the UPPCB dated 29.09.2019 with regard to pollution of River Gomti.

(g) Report of the UPPCB dated 29.09.2019 on the subject of action taken against M/s Malvika Cement Pvt. Ltd. Industrial Area, Sultanpur Road, Raebareli.

8. The said reports may be forwarded to the current Oversight Committee headed by Justice SVS Rathore [2], who may obtain the latest status of the matter from the concerned authorities and file a consolidated and updated report in the matter before the next

[1] Constituted in terms of order dated 23.08.2018 in O.A. No. 116/2014, Meera Shukla v. Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors.

[2] Constituted in terms of order dated 21.10.2019 and further modified vide order dated 16.03.2020 in O.A. No. 670/2018, Atul Singh Chauhan v. Ministry of Environment, Forest and Climate Change & Ors.

date by e-mail at judicial-ngt@gov.in (preferably in the form of searchable/OCR PDF and not image PDF).

9. Report dated 15.06.2020 filed by the Oversight Committee headed by Justice SVS Rathore, former Judge of the Allahabad High Court furnishes status of compliance of the orders of this Tribunal, including restoration of Ramgarh Taal. The concluding part thereof is as under:

"Recommendations:

In view of the above, we recommend as follows:

1. *Regarding untreated sewage and industrial effluents, for the existing 103 water bodies and groundwater especially Ramgarh lake, Ami river, Rapti river and Rohani river in and around district Gorakhpur which are suffering from untreated sewage and industrial effluent as well as improper management of solid waste, no tangible efforts appear to have been made by Departments concerned so far to check the pollution caused by untreated sewage and industrial pollutants flowing untreated in rivers. Despite the concern expressed by NGT for quite some time neither the STP at Magahar and Khalilabad have been sanctioned nor GIDA has commenced work on its CETP. Consequently, sewage and industrial effluents are going in the rivers without any treatments. Gorakhpur and the entire Terai area is highly sensitive to Japanese Encephalitis (JE) and Acute Encephalitis (AE) which cause deaths of thousands of children every year. The primary cause of JE/AE is pollution. It appears that the State Government is not starting the work on these CETP/STP by citing that the project is pending with NMCG for budgetary approval. Lack of funds is no excuse for inaction. The Supreme Court order in Paryavaran Suraksha Samiti & Anr. Applicant(s) Vs. Union of India & Ors. In W.P. (Civil) No. 375/2012, clearly mentions that the municipalities/local bodies cannot be permitted to shy away from discharging their onerous duty regarding establishment of CETP/STPs. The Supreme Court has directed that the Urban Local Bodies have to generate their own financial resources for meeting this obligation failing which the State Government shall cater to their financial requirements regarding CETP/STP. This order has been reproduced from NGT order dated 21.05.2020. Clearly not providing for STPs/CETPs is contempt of the Supreme Court as well as NGT. Supreme Court in its order has also*

mentioned that Secretary of Environment Department shall be answerable in case of default. The Secretaries to Government concerned shall be responsible for monitoring the progress and implementation of above directions. Not constructing these STPs/CETPs for lack of budgetary support from NMCG certainly is not a valid excuse. The Chief Secretary may be directed to ensure sufficient budgetary resources either from Government of India or from State budget within a month, so that work on these STPs/CETPs should commence immediately. NGT has mandated that any STP where work does not commence from 1.04.2020 will be liable to EC @5 Lakh per month. CPCB may issue notice to the Gorakhpur Municipal Corporation/GIDA for EC.

2. *No interim measures for the treatment of the wastewater in drains and sewages have been made yet. has mandated that bioremediation and/or phytoremediation or any other remediation measures may start as an interim measure positively from 01.4.2020, failing which the State may be liable to pay compensation of Rs. 5 Lakhs per month per drain to be deposited with the CPCB.*

3. *All the municipal corporations were supposed to abide by SWM Rules, 2016 by 1.04.2020. Any violation in following SWM Rules, beyond the deadline would entail penalty. Gorakhpur Municipal Corporation has so far not started work on landfill site/processing plant. Any default in commencing work before 1.04.2020 would attract penalties (EC). CPCB may work out EC and issue notice.*

4. *This area is very sensitive from JE/AE point of view. Besides BRD Medical college is the most important medical center in this area catering to medical requirements of large part of Eastern UP and Northern Bihar. The Primary cause of JE/AE is pollution. Hence it is most important that BRD medical college must follow BMW Rules, 2016. More so there is an influx of COVID-19 patients which will increase in the coming months Principal Secretary Medical Education shall ensure that in such critical times, BRD Medical College follows all the BMW norms. Any negligence on the part of concerned officers may be dealt with strictly and responsibility may be fixed.*

5. *There are a large number of drains going untapped in Ramgarh Taal. The state would do well to plan STPs for these drains. As an interim measure bioremediation /phytoremediation of all these drains shall be started immediately.*

6. *As far as polluting industries are concerned, we have been informed by SPCB that production has been*

stopped in such units, prosecution has been recommended and RC has been issued against all such units. As per SPCB, only such units have been permitted which have deposited the EC and are complying with the norms. SPCB may be directed to continuously monitor such units.

7. *Regarding illegal electric connections given to units operating without consent or digging of tubewells without permission of Central Groundwater Authority, it has been mentioned by SPCB that the consent to establish an industry will be given only after prior groundwater clearance. It is recommended that since it is an inter-departmental matter, specific instructions may be issued to all the departments by Chief Secretary.*

8. *UPPCB has informed that detailed action plans related to polluted river stretches of Ghagra, Rapti, Varuna, Sai, Saryu, Ami and Tamsa have been prepared and approved by River Rejuvenation Committee. The implementation of these plans by District Environment Committee at District level and River Rejuvenation Committee at the State level may be continuously monitored. The minutes of the State level Committee may be uploaded on the State Environmental Portal and a copy may be made available to this committee.*

9. *We have been assured by Additional Chief Secretary (Irrigation) that the joint committee report on wetlands will be passed in the meeting on 15.06.2020 and made available to the committee. This committee would send a supplementary report on that after getting that report and studying it."*

10. The above recommendations be acted upon and a report filed by the Chief Secretary with report in terms of earlier order. We also note the suggestion of the learned Counsel appearing for the CPCB that the Tihara drain needs to be cleaned and obstructions, if any, thereto removed. This aspect may also be looked into by the Oversight Committee.

11. We may generally observe that the action taken so far hardly meets the mandate of law and much remains to be done for compliance of orders of this Tribunal. Laxity by the officers

concerned is breach of their statutory and public duties to uphold rule of law and protect environment and public health. However, learned Counsel for the State PCB states that latest status could not be brought forward for which time is required. Let the same be done before the next date.

12. In view of prayer made, we grant further time for filing updated report by the Chief Secretary, UP, State PCB, DFO, Gorakhpur and the Oversight Committee. The Oversight Committee may obtain latest status report from the concerned Collectors and the concerned departments. Report may be filed on or before 30.09.2020 by e-mail at judicial-ngt@gov.in (preferably in the form of searchable/OCR PDF and not image PDF) which may also be uploaded on the website of the CPCB. Comments, if any thereto, by any other party may be filed within two weeks thereafter.

13. Time of the Oversight Committee will stand extended by six months.

List for further consideration on 05.11.2020.

Adarsh Kumar Goel, CP

Sheo Kumar Singh, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

June 16, 2020
OA No. 116/2014
DV